Daksh®

29 दिसम्बर 2024 को जारी अधिसूचना
(41 जिलें एवं 7 सम्भाग) के अनुसार

दक्ष®

Topper's

राजस्थान

सार संग्रह

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी पुस्तक

- सामान्य परिचय
- भूगोल
- अर्थव्यवस्था
- इतिहास
- कला एवं संस्कृति
- राजव्यवस्था

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ संख्या

Part-A

राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था
[Geography and Economics of Rajasthan]

1 राजस्थान के नवीन जिले एवं संभागीय व्यवस्था
[New District & Divisional System of Rajasthan] 7

2 राजस्थान : सामान्य परिचय
[Rajasthan : General Introduction] 16

3 राजस्थान की अवस्थिति एवं भू-आकृतिक प्रदेश
[Location and Physiographic regions of Rajasthan] 31

4 राजस्थान की जलवायु एवं मानसून तंत्र
[Rajasthan's Climate and Monsoon System] 45

5 राजस्थान में जल संसाधन : नदियाँ, झीलें, बाँध एवं सरोवर
[Water Resources in Rajasthan : Rivers, Lakes, Dams & Ponds] 53

6 राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण की तकनीकें
[Irrigation Projects and Water Conservation Techniques in Rajasthan] 71

7 राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा संसाधन
[Natural Vegetation and Soil Resources in Rajasthan] 82

8 राजस्थान में जैव विविधता, वन्य जीव जन्तु एवं वन्य जीव संरक्षण
[Biodiversity, Wildlife Animal and Wildlife Conservation in Rajasthan] 93

9 राजस्थान की जनसंख्या : वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात
[Population of Rajasthan: Growth, Density, Literacy, Sex Ratio] 103

10 राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ; भौगोलिक वितरण एवं विशेषताएँ
[Major tribes of Rajasthan; Geographical Distribution and Characteristics]. 115

11 राजस्थान में पारिस्थितिकी संकट के मुद्दे एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास
[Issues of Ecological Crisis in Rajasthan & Efforts for Environmental Protection] 124

12 राजस्थान में खनिज संसाधन
[Mineral Resources in Rajasthan] 128

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ संख्या

13 राजस्थान में पर्यटन का विकास; पर्यटन केन्द्र एवं परिपथ
[Development of Tourism in Rajasthan; Tourist Center and Circuit] 139

14 राजस्थान में परिवहन के साधन
[Means of Transport in Rajasthan] 160

15 राजस्थान में कृषि परिदृश्य : प्रमुख फसलें, कृषिक्षेत्र की वर्तमान स्थिति एवं कृषि विपणन
[Agriculture Scenario in Rajasthan: Major Crops, Current Status of Agriculture Sector and Agriculture Marketing] 171

16 राजस्थान में पशु संपदा एवं डेयरी विकास
[Livestock and Dairy Development in Rajasthan] 185

17 राजस्थान के ऊर्जा संसाधन : परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
[Energy Resources of Rajasthan : Conventional & Non-Conventional] 197

18 राजस्थान में औद्योगिक विकास; प्रमुख उद्योग व नव प्रवृतियाँ
[Industrial Development in Rajasthan; Major Industries & New Trends] 206

19 राजस्थान में सहकारिता आंदोलन
[Cooperative Movement in Rajasthan] 219

20 राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति
[Situation of Poverty & Unemployment in Rajasthan] 224

21 राज्य में सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ
[Socio-Economic Welfare Schemes in the State] 228

Part-B

राजस्थान का इतिहास
[History of Rajasthan]

1 राजस्थान के इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्रोत
[Important Sources of History of Rajasthan] 241

2 प्रागैतिहासिक राजस्थान : राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ
[Prehistoric Rajasthan : Ancient Civilizations of Rajasthan] 247

3 राजस्थान की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ एवं प्रमुख राजवंश
[Important Historical Events and Major Dynasties of Rajasthan] 254

4 मध्यकालीन राजवंशों की प्रशासनिक व राजव्यवस्था
[Administrative and Polity of Medieval Dynasties] 289

5 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान
[Contribution of Rajasthan in the Revolution of 1857] 295

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ संख्या

6 राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जागरण के कारक
[Factors of Social and Political awakening in Rajasthan] 300

7 राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन
[Peasants and Tribal Movements in Rajasthan] 306

8 देशी रियासतों में प्रजामण्डल आन्दोलन
[Prajamandal Movement in Princely States] 314

9 राजस्थान का एकीकरण
[Integration of Rajasthan] 319

10 राजस्थान के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल
[Important Historical Places of Rajasthan] 325

11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
[Major Personalities of Rajasthan] 332

Part-C

राजस्थान की कला एवं संस्कृति
[Art and Culture of Rajasthan]

1 राजस्थान की स्थापत्य कला
[Architecture of Rajasthan] 347

2 राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ
[Various Styles of Painting in Rajasthan] 364

3 राजस्थान में प्रमुख हस्तशिल्प
[Major Handicrafts in Rajasthan] 372

4 राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा एवं विरासत-वस्त्र एवं आभूषण, रीति-रिवाज
[Cultural Tradition and Heritage of Rajasthan-Clothes and Ornaments, Customs] 379

5 राजस्थान के मेले व त्योहार
[Fairs and Festivals of Rajasthan] 385

6 राजस्थान की प्रदर्शन कलाएँ
[Performing Arts of Rajasthan] 394

7 राजस्थान के धार्मिक आंदोलन : प्रमुख लोक संत एवं सम्प्रदाय
[Religious Movements of Rajasthan : Major Folk Saints and Sects] 408

8 राजस्थान के प्रमुख लोक-देवता एवं देवियाँ
[Major Folk Gods and Goddesses of Rajasthan] 415

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ संख्या

9 राजस्थानी भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियाँ
[Rajasthani Language & Regional Dialects] 423

10 राजस्थानी साहित्य का विकास
[Development of Rajasthani Literature] 430

Part-D

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासन
[Political and Administration of Rajasthan]

1 राज्यपाल
[Governor] 439

2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद
[Chief Minister and State Council of Ministers] 447

3 राज्य विधानसभा एवं राजस्थान की राज्य राजनीति
[State Legislative Assembly and State Politics of Rajasthan] 453

4 राजस्थान उच्च न्यायालय
[High Court of Rajasthan] 463

5 राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव
[State Secretariat and Chief Secretary] 467

6 जिला प्रशासन
[District Administration] 471

7 राजस्थान के विभिन्न आयोग एवं संस्थाएँ
[Various Commissions and Institutions of Rajasthan] 478

8 स्थानीय स्वशासन-पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन
[Local Self Government - Panchayati Raj & Urban Local Government] 492

9 लोकनीति; विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र
[Public Policy; Legal Rights and Citizen's Charter] 501

लोकसभा में राजस्थान की स्थिति

- संसद में राजस्थान से कुल 35 सदस्य होते हैं, जिनमें **25 लोकसभा सदस्य** एवं **10 राज्यसभा** सदस्य होते हैं।
- राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है (25 × 8 = 200)।
- राज्य की 25 लोकसभा सीटों में **4 सीटें अनुसूचित जाति (SC)** के लिए (गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली-धौलपुर) तथा **3 सीट अनुसूचित जनजाति (ST)** के लिए (दौसा, उदयपुर, बाँसवाड़ा) आरक्षित हैं।
- 18वीं लोकसभा चुनाव में **14** सीटों पर **भाजपा** ने जीत दर्ज की, **8** सीटों पर कांग्रेस ने **1-1** सीट पर रालोपा, सीपीआई (एम) एवं बीएपी ने जीत दर्ज की है।
- 18वीं लोकसभा में राजस्थान से **3 महिला सांसद** चुनी गई - भरतपुर (SC) से संजना जाटव, राजसमंद से महिमा कुमारी एवं जयपुर से मंजू शर्मा।

18वीं लोकसभा (2024-29) में राजस्थान से सदस्य (एक नजर में)

क्र.सं.	लोकसभा क्षेत्र	सदस्य (दल)
1.	अजमेर	श्री भागीरथ चौधरी (BJP)
2.	अलवर	श्री भूपेन्द्र यादव (BJP)
3.	बांसवाड़ा (ST)	श्री राजकुमार रोत (BAP)
4.	बाड़मेर	श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (INC)
5.	भरतपुर (SC)	श्रीमती संजना जाटव (INC)
6.	भीलवाड़ा	श्री दामोदर अग्रवाल (BJP)
7.	बीकानेर (SC)	श्री अर्जुनराम मेघवाल (BJP)
8.	चित्तौड़गढ़	**श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (BJP)**
9.	चूरू	श्री राहुल कस्वाँ (INC)
10.	दौसा (ST)	श्री मुरारी लाल मीणा (INC)
11.	जालौर	श्री लुम्बाराम चौधरी (BJP)
12.	जयपुर	श्रीमती मंजू शर्मा (BJP)
13.	जयपुर ग्रामीण	राव राजेन्द्र सिंह (BJP)
14.	गंगानगर (SC)	श्री कुलदीप इन्दौरा (INC)
15.	नागौर	श्री हनुमान बेनीवाल (RLP)
16.	झालावाड़-बारां	श्री दुष्यंत सिंह (BJP)
17.	झुंझुनूँ	श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (INC)
18.	जोधपुर	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (BJP)
19.	करौली-धौलपुर (SC)	श्री भजन लाल जाटव (BJP)
20.	कोटा	श्री ओम बिरला (लोकसभा अध्यक्ष) (BJP)
21.	पाली	श्री पी.पी. चौधरी (BJP)
22.	राजसमंद	श्रीमती महिमा कुमारी (BJP)
23.	सीकर	श्री अमराराम (CPI-M)
24.	टोंक-सवाईमाधोपुर	श्री हरीश चन्द्र मीणा (INC)
25.	उदयपुर (ST)	डॉ. मन्ना लाल रावत (BJP)

राज्यसभा में राजस्थान की स्थिति

राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। वर्तमान में **05** सदस्य **कांग्रेस** पार्टी से तथा 05 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से हैं।

क्र.सं.	सदस्य (दल)	अवधि
1.	श्री नीरज डांगी (कांग्रेस)	2020-2026
2.	श्रीमती सोनिया गांधी (कांग्रेस)	2024-2030
3.	श्री चुन्नीलाल गरासिया (भाजपा)	2024-2030
4.	श्री राजेन्द्र गहलोत (भाजपा)	2020-2026
5.	श्री मदन राठौड़ (भाजपा)	2024-2030
6.	श्री रवनीत सिंह (भाजपा)	2024-2026
7.	श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (कांग्रेस)	2022-2028
8.	श्री घनश्याम तिवाड़ी (भाजपा)	2022-2028
9.	श्री प्रमोद तिवारी (कांग्रेस)	2022-2028
10.	श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (कांग्रेस)	2022-2028

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक परिदृश्य (एक नज़र में)

राजस्थान			
क्र.स.	आर्थिक विकास के संकेतक	वर्ष 2024-25 (अनुमानित)	वृद्धि दर 2024-25
1.	प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (SGDP)	₹17.04 लाख करोड़	12.02%
2.	स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (SGDP)	₹9.06 लाख करोड़	7.82%
3.	प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलु उत्पाद	₹15.25 लाख करोड़	12.23%
4.	स्थिर मूल्यों (2011-12) पर शुद्ध राज्य घरेलु उत्पाद	₹7.96 लाख करोड़	8.03%
5.	प्रचलित मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय	₹185053	11.04%
6.	स्थिर मूल्यों (2011-12) पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय	₹96638	6.88%
7.	कुल खाद्यान्न उत्पादन	₹267.67 लाख मैट्रिक टन	—
8.	कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता	26325 मेगावाट	—

5 राजस्थान में जल संसाधन : नदियाँ, झीलें, बाँध एवं सरोवर [Water Resources in Rajasthan : Rivers, Lakes, Dams & Ponds]

राजस्थान का अपवाह तंत्र

❖ **अपवाह तंत्र**
- ✧ जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर प्रवाह का एक पैटर्न बनाती है, तो उसे उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है।

❖ **शुष्क प्रदेश और जल का महत्त्व:**
- ✧ राजस्थान भारत का एक शुष्क प्रदेश है, इसलिए यहाँ नदियों, झीलों और बाँधों का बहुत अधिक महत्त्व है।
- ✧ यहाँ की अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती हैं।
- ✧ शुष्कता के कारण परम्परागत जल संरक्षण की कई विधियाँ विकसित हुई हैं।

❖ **अरावली पर्वत का जलविभाजक का काम:** अरावली पर्वत राजस्थान में मुख्य जलविभाजक के रूप में काम करता है।

❖ **यह राज्य की नदियों को दो भागों में विभाजित करता है:**
1. पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ।
2. पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ।

❖ **अन्त:प्रवाही नदियाँ:**
- ✧ राज्य में कई नदियाँ अन्त:प्रवाही हैं, यानी वे किसी सागर या महासागर में नहीं मिलतीं।

❖ **राजस्थान के अपवाह तंत्र के भाग:**
- ✧ प्रवाह के आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बाँटा गया है–

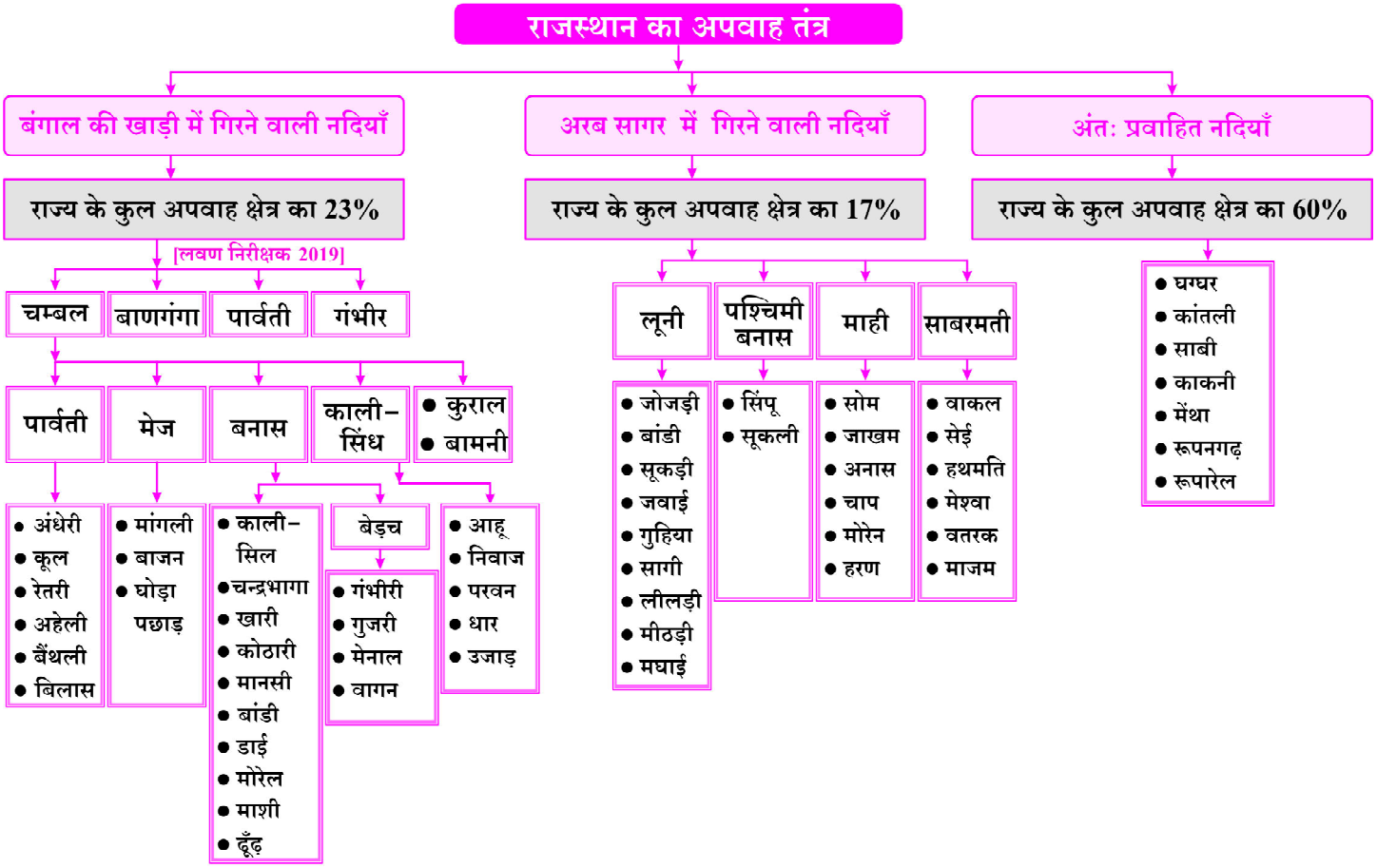

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ

❖ ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा बनती हैं।

पूर्वी राजस्थान की नदियाँ:

❖ अरावली पर्वत के पूर्व में बहने वाली नदियाँ जैसे चम्बल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती यमुना नदी में मिलती हैं।

चम्बल नदी का अपवाह तंत्र

❖ **उद्गम स्थल:**
- ✧ चम्बल नदी का उद्गम मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में महू के पास जानापाव पहाड़ी से होता है।

6 राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण की तकनीकें
[Irrigation Projects and Water Conservation Techniques in Rajasthan]

राजस्थान के जल संसाधन और सिंचाई सुविधाएँ

राज्य में जल संसाधनों की कमी और प्रबंधन:

- राजस्थान में जल संसाधनों की कमी के कारण सूखा और अकाल बार-बार आते हैं।
- **1949** में सिंचाई विभाग की स्थापना हुई, जिसे अब **''जल संसाधन विभाग''** कहा जाता है।
- राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा की स्थापना अमेरिका की राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से वर्ष 1984 में की गई। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सिंचाई प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

खेती और जल क्षमता:

- **कृषि भूमि:** राजस्थान में 254.75 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है।
- **सतही जल की क्षमता:** राज्य की सतही जल क्षमता केवल 15.86 M.A.F. है, जो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का 1.16% है।

[JEN Civil Degree 2022]

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार:

- **सिंचित क्षेत्र:** वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
  - वर्ष 2024-25 में दिसम्बर 2024 तक 14514.41 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ सृजित की गई।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ (2024-25):

- **7 वृहद् परियोजनाएँ:**
  1. नर्मदा नहर परियोजना।
  2. परवन परियोजना।
  3. धौलपुर लिफ्ट परियोजना।
  4. नवनेरा बाँध (E.R.C.P.)।
  5. उच्च स्तरीय नहर - माही।
  6. पीपलखूंट - उच्च स्तरीय नहर।
  7. कालातीर लिफ्ट परियोजना।
- **6 मध्यम परियोजनाएँ:**
  1. गरदड़ा।
  2. ताकली।
  3. गागरिन।
  4. ल्हासी।
  5. हथियादेह।
  6. अंधेरी
- 40 लघु सिंचाई परियोजनाएँ।
- **राज्य जल नीति:** जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2010 को ''राज्य जल नीति'' को मंजूरी दी।
- **बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ:** पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को **''आधुनिक भारत के मंदिर''** कहा।

सिंचाई के प्रमुख साधन:

- नहरें, तालाब, कुएँ और नलकूप सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। [वनपाल 2022]

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ	वृहत् सिंचाई परियोजना	मध्यम सिंचाई परियोजना	लघु सिंचाई परियोजनाएँ
वे परियोजनाएँ, जिनके अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे- सिंचाई, पेयजल, मत्स्यपालन, पर्यटन, पनबिजली, बाढ़ नियंत्रण	10000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली परियोजना वृहत सिंचाई परियोजना कहलाती है।	2000 से 10000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है।	0-2000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली परियोजना लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है।

राजस्थान में सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ

सिंचाई के प्रमुख आंकड़े:

- **नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई:** श्रीगंगानगर जिले में।
- **कुओं व नलकूपों (संयुक्त रूप से) द्वारा सर्वाधिक सिंचाई:** जोधपुर जिले में।
- **कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई**-झालावाड़
- **नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई**-जोधपुर
- **तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई:** टोंक जिले में।
- **कुल सिंचित क्षेत्र का वितरण:**
  - **सर्वाधिक हिस्सा:** श्रीगंगानगर।
  - **न्यूनतम हिस्सा:** राजसमंद।

7 राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा संसाधन [Natural Vegetation and Soil Resources in Rajasthan]

पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों की भूमिका

1. वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका

- **स्थानीय जलवायु संतुलन:** वन क्षेत्र स्थानीय जलवायु को सौम्य और संतुलित बनाते हैं।
- **मृदा संरक्षण:** वनों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं।
- **जल प्रवाह प्रबंधन:** नदियों के प्रवाह को नियमित रखने में वनों का योगदान।
- **औद्योगिक उपयोग:** वनों से विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है।
- **आजीविका का साधन:** वनों से मिलने वाले संसाधन बड़ी जनसंख्या को आजीविका प्रदान करते हैं।
- **वन्यजीव संरक्षण:** वनों में वन्यजीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है।

2. राजस्थान में वनों का महत्त्व

- राजस्थान में वन क्षेत्र सीमित है और तेजी से घट रहा है।
- वनों की मौजूदगी राजस्थान जैसे शुष्क राज्य में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- वनों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण।

3. वनों के विनाश का प्रभाव

- वनों के कम होने से मिट्टी का कटाव, जल संकट और जैव विविधता में कमी का खतरा बढ़ता है।
- पर्यावरणीय असंतुलन से राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में समस्याएं और जटिल हो जाती हैं।

अध्ययन बिन्दु

- राज्य में वनों का वितरण एवं 17वीं राजस्थान वन रिपोर्ट-2021
- राज्य में वनों के प्रकार-प्रशासनिक एवं भौगोलिक विभाजन
- राज्य में मुख्य वृक्ष, औषधीय पौधे एवं घासें
- सरकार द्वारा वन संरक्षण हेतु किए गए प्रयास
- राजस्थान में मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण

राजस्थान में वनों का वितरण

1. राज्य में वन क्षेत्र की स्थिति

- राजस्थान में वनों का विस्तार कम है, जो यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण है।
- **राष्ट्रीय वन नीति (1988):** भू-भाग के एक तिहाई हिस्से पर वन होना आवश्यक।
- **कुल वन क्षेत्र:** राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 33,014 वर्ग कि.मी. है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.64 प्रतिशत है।
- राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वन क्षेत्र को वैद्यानिक दृष्टि से आरक्षित वन, रक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कुल वन क्षेत्र का क्रमशः 36.95, 56.43 एवं 6.62 प्रतिशत है।
- **इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट-2023** के अनुसार राज्य का वनावरण 16,548.21 वर्ग कि.मी. (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84 प्रतिशत) है, वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग कि.मी. है, अतः राज्य का कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण 27, 389.33 वर्ग किमी है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत है।

2. प्रमुख वन क्षेत्र

- **सघन वन:**
  - प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, बारां, सिरोही, बूँदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर और झालावाड़।
  - इन जिलों में 20% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं।
- **शुष्क क्षेत्र:**
  - चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर।
  - यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% से भी कम भाग वन क्षेत्र में है।
- **भौगोलिक वितरण:**
  - दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में वनों का विस्तार अधिक है।
  - पश्चिमी राजस्थान में वन क्षेत्र अत्यंत सीमित है।

3. वनों के कम विस्तार के कारण

- कम वर्षा और उच्च तापमान।
- मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिक विस्तार।
- अनियंत्रित पशुचारण और वनोन्मूलन।

4. प्रशासनिक दृष्टिकोण

- राजस्थान में 38 वन मंडल/प्रादेशिक मंडल है:
- **प्रत्येक वन मंडल के अधीन वन रेंज:** सामान्यतः 5 से 7

10 राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ; भौगोलिक वितरण एवं विशेषताएँ
[Major tribes of Rajasthan; Geographical Distribution and Characteristics]

जनजाति और राजस्थान का परिचय

- **जनजाति की परिभाषा:** ऐसे समुदाय जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, दुर्गम इलाकों में निवास करते हों, स्वच्छंद वातावरण में रहते हुए अपनी विशिष्ट संस्कृति और मूल पहचान को बनाए रखते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहा जाता है।
- **राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं:** भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, साँसी, डामोर, कंजर।
  इनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपराएँ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

राजस्थान में जनजातियों की स्थिति

- **भारत में राजस्थान का स्थान:** राजस्थान, जनजातीय आबादी के मामले में भारत में **चौथे स्थान** पर है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92,38,534 अनुसूचित जनजाति की आबादी है।
- **राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या:** राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। इनमें से 94.6% जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

अनुसूचित जनजातियाँ और संविधान

- **संविधान का प्रावधान:**संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
- **राजस्थान में वर्तमान में 12 अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित हैं:**

1.	मीणा	2.	भील	3.	गरासिया
4.	सहरिया	5.	डामोर	6.	भीलमीणा
7.	कोलीढोर	8.	पटेलिया	9.	नायकड़ा
10.	कथौड़ी	11.	कोकना	12.	धानका

नोटः–
- ✧ राजस्थान में मीणा जनजाति सबसे अधिक संख्या में, जबकि कोलीढोर सबसे कम संख्या में निवास करती है।
- ✧ सांसी और कंजर जनजातियाँ अधिसूचित नहीं हैं, लेकिन अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण इन्हें जनजातीय श्रेणी में माना जाता है।

जनजातीय जनसंख्या का वितरण

- **उच्चतम जनजातीय आबादी वाले जिले:**
  1. **बांसवाड़ा:** 76.38%
  2. **डूंगरपुर:** 70.82%
  3. **प्रतापगढ़:** 63.42%
  4. **उदयपुर:** 49.71%
- कुल जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या : उदयपुर (1525289)।
- **न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला: बीकानेर:** केवल 0.33% जनजातीय जनसंख्या।

अनुसूचित क्षेत्र का विवरण

- **पूर्णतः अनुसूचित जिले:** बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।
- **आंशिक अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले:** उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही।

राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण

जनजाति	सर्वाधिक केन्द्रीकरण वाले क्षेत्र
मीणा	**जयपुर**, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, सलूम्बर, अलवर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में।
भील	**बाँसवाड़ा**, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर एवं सलूम्बर जिलों में।
गरासिया	**सिरोही**, उदयपुर और पाली में ही निवास करते हैं।
सहरिया	सर्वाधिक केन्द्रीकरण बारां जिले की **शाहबाद** एवं **किशनगंज** तहसीलों में। राज्य में कोटा जिला द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। [REET Mains Sanskrit 2023]
डामोर	सर्वाधिक डूँगरपुर जिले की **सिमलवाड़ा पंचायत समिति** में केन्द्रीकरण है
कथौड़ी	मुख्यतः **उदयपुर एवं सलूम्बर जिले** में इनका केन्द्रीकरण है।
कंजर जाति	राज्य के **हाड़ौती क्षेत्र** में सर्वाधिक केन्द्रीकरण है
सांसी जाति	मुख्यतः **भरतपुर**, [वनरक्षक 2022] डीग, धौलपुर एवं करौली जिलों में निवास करती है।

12 राजस्थान में खनिज संसाधन [Mineral Resources in Rajasthan]

राजस्थान की भूगर्भीय संरचना और खनिज भंडार

- **विविधता:** राजस्थान की भूगर्भीय संरचना खनिजों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसे **'खनिजों का अजायबघर'** कहा जाता है।
- **खनिज भंडार:** राज्य में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं:
  - इनमें से 58 खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है।
- **महत्वपूर्ण क्षेत्र:** अरावली क्षेत्र खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की स्थिति

- **खनिज भंडार के दृष्टिकोण से:** राजस्थान देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान रखता है।
- **खनिजों की उपलब्धता के अनुसार:** ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य।
- **अप्रधान खनिज उत्पादन में:** राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

खनन पट्टे और ई-नीलामी प्रक्रिया

- **प्रधान खनिज:** प्रधान खनिजों के लिए 145 खनन पट्टे जारी।
- **अप्रधान खनिज:** 16962 खनन पट्टे और 17,185 खदान लाइसेंस विद्यमान।
- **आवंटन प्रक्रिया:** खनन पट्टों का आवंटन अब ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

रॉयल्टी और नियम

- **प्रधान खनिज:** रॉयल्टी और नियम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित।
- **अप्रधान खनिज:** आवंटन और रॉयल्टी के नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।

खनन क्षेत्र का आर्थिक योगदान

- **आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार:** औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में योगदान 3.30 लाख करोड़ रहा।

राजस्थान: खनिज उत्पादन में देश का प्रमुख राज्य

राजस्थान के विशिष्ट खनिज

- **एकमात्र उत्पादक:** राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सलेनाईट और वॉलेस्टोनाइट का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है।
- **अन्य प्रमुख खनिज:**
  - देश में चाँदी, केल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है।
  - बॉल क्ले, फॉयर क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर (गेरु), स्टेटाइट और **फेल्सपार** का भी प्रमुख उत्पादक। [जेल वार्डन 2018]

आयामी और सजावटी पत्थर

- **विशेष पत्थर:** संगमरमर, सेण्डस्टोन, ग्रेनाइट जैसे पत्थरों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है।

सीमेंट और स्टील ग्रेड खनिज

- **लाइम स्टोन:** सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी है।

प्रमुख संस्थान और राजस्व

- **खान एवं भू-विज्ञान विभाग:** 1949 में उदयपुर में स्थापित।
  - **क्षेत्रीय कार्यालय:** जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर।
- **राजस्व लक्ष्य:**
  - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग को 9500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया।
  - जिसके विरूद्ध कुल 6340.85 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज

- **मुख्य खनिज:** वॉलेस्टोनाइट, सीसा-जस्ता, पन्ना, गार्नेट, जास्पर, चाँदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, केल्साइट, संगमरमर, सेलेनाइट, टंगस्टन, तामड़ा, और एस्बेस्टॉस।

राजस्थान में खनिजों के प्रकार

प्रकार	विविध खनिज
धात्विक खनिज	लौह अयस्क, मैंगनीज, सीसा और जस्ता, ताँबा, टंगस्टन, बेरिलियम, चाँदी, सोना।
अधात्विक खनिज	• **उर्वरक खनिज** – जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स [JEN Elect. 2020] • **आणविक खनिज** – अभ्रक, यूरेनियम • **रासायनिक खनिज** – नमक, चूना-पत्थर, फ्लोराइट, केल्साइट, बेण्टोनाइट • **बहुमूल्य पत्थर** – पन्ना, तामड़ा, हीरा • **इमारती पत्थर** – संगमरमर, ग्रेनाइट, बालुका पत्थर (सैण्ड स्टोन), स्लेट आदि। • **उष्मारोधी खनिज** – एस्बेस्टास, फेल्सपार, सिलिका सैण्ड, डोलामाइट, चाइनाक्ले, फायर क्ले, मैग्नेसाइट, बोराइट्स आदि। • **अन्य खनिज** – घीया पत्थर, मुल्तानी मिट्टी.... आदि।
ईंधन खनिज	पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस

- राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13-15 सितम्बर, 2024 को जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) का आयोजन किया गया। इसमें भारत के विभिन्न शहरों से 650 से अधिक पर्यटन अभिकर्ताओं एवं राजस्थान से लगभग 600 से अधिक विक्रेताओं द्वारा भाग लिया गया। 13,500 से अधिक बी2बी बैठकें आयोजित की गईं।
- 05 मई, 2024 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से देश में प्रथम बार 'वेड इन इंडिया एक्सपो' का आयोजन किया गया ।

वर्ष 2024 में प्राप्त महत्त्वपूर्ण अवॉर्ड

- **बेस्ट डेकोरशन एवं डिजाइन पुरस्कार:–**10 फरवरी, 2024 को इंडिया ओटीएम, मुंबई में प्राप्त हुआ।
- **क्रिएटिविटी पुरस्कार:–** 30 अप्रैल, 2024 को प्राइम टाइम अवार्ड, 2023 में फिल्म रोमांस ऑफ राजस्थान के लिए जीता गया।
- **सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टीनेशन पुरस्कार:–** 19 जुलाई, 2024 को अहमदाबाद में गुजरात ट्रैवल फेयर एक्सपो में सम्मानित किया गया।
- **सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार:–** आरटीडीसी होटल कैसल झूमरबावड़ी, सवाईमाधोपुर को 19 जुलाई, 2024 को अहमदाबाद में गुजरात ट्रैवल फेयर एक्सपो में यह पुरस्कार मिला।
- **पिल्ग्रमेज डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार:–** 27 जुलाई, 2024 को बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में प्राप्त किया गया।
- **बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाइ स्टेट पुरस्कार:–** 31 अगस्त, 2024 को भोपाल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईआईटीएम) के 39वें वार्षिक सम्मेलन में जीता गया।
- **द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार:–** 23 अक्टूबर 2024 को पटना में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में प्राप्त हुआ।
- **ब्राण्ड कैम्पेन ऑफ द ईयर पुरस्कार:–** 1 दिसम्बर, 2024 को पुणे में इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट में प्राप्त किया गया।
- **वेडिंग डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार:–** 8 दिसम्बर, 2024 को हैदराबाद में इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट में प्राप्त किया गया।

राजस्थान के पर्यटन परिपथ

क्र.सं.	परिपथ	परिपथ के क्षेत्र
1.	मरु सर्किट	बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर।
2.	ढूँढ़ाड़ सर्किट	जयपुर, आमेर, दौसा, आभानेरी।
3.	शेखावाटी सर्किट	चूरू, सीकर, झुँझुनूँ।
4.	हाड़ौती सर्किट	कोटा, बूँदी, झालावाड़।
5.	मेवात सर्किट	अलवर, सरिस्का, सिलीसेढ़, तिजारा।
6.	मेवाड़ सर्किट	उदयपुर, कुंभलगढ़, चारभुजा, कांकरोली, आहड़, गोगुन्दा, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर।
7.	मेरवाड़ा सर्किट	अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर।
8.	ब्रजभूमि सर्किट	भरतपुर, डीग, कुम्हेर, धौलपुर।
9.	माउण्ट आबू–गोडवाड़ सर्किट	माउण्ट आबू, रणकपुर, जालौर।
10.	रणथम्भौर सर्किट	रणथम्भौर, चौथमाता, शिवाड़, टोंक।

राजस्थान के पर्यटन त्रिकोण

1. मरु त्रिकोण [CET (Grad.) 2024]
   - ✧ **शामिल स्थान:** जैसलमेर – बीकानेर – जोधपुर।
2. स्वर्णिम त्रिकोण [असिस्टेंट प्रोफेसर 2023]
   - ✧ **शामिल स्थान:** दिल्ली – आगरा – जयपुर।

- पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में निम्न **रोप–वे** संचालित हैं—
  - ✧ **सुन्धा माता मंदिर (जालौर)**—20 दिसम्बर 2006 (प्रथम)
  - ✧ **पं. दीनदयाल पार्क (दूधतलाई)** से **करणी माता मंदिर (माछला मगरा)** —8 जून 2008 (द्वितीय)
  - ✧ **सावित्री माता मंदिर (पुष्कर)**—3 मई 2016 (तृतीय) [REET (L-1) 2023]
  - ✧ **सामोद वीर हनुमान (जयपुर)**—24 मई 2019 (चौथा)
  - ✧ **खोले के हनुमानजी मंदिर (जयपुर)**—28 सितम्बर 2023 (पाँचवां)
  - ✧ **नीमच माता (उदयपुर)**—22 सितम्बर 2024 (छठा)
  - ✧ **जीण माता (सीकर)**—10 अप्रैल 2024 (सातवां)

नोट:– खोले के हनुमानजी मंदिर स्थित रोप–वे अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक संचालित है। यह **राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोप–वे** है।

राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केन्द्र (जिलेवार)

अजमेर

अढ़ाई दिन का झोंपड़ा

- **मूल संरचना:** संस्कृत महाविद्यालय, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित।
- **बाद में परिवर्तन:** सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में बदलवाया।
- **स्थापत्य कला:** हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य का अद्भुत संगम।
- **सज्जा:** सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे और अधिक सुशोभित किया।
- **नाम की उत्पत्ति:**
  - ✧ किंवदंती है कि इसे मंदिर से मस्जिद में बदलने में सिर्फ अढ़ाई दिन लगे, इसलिए इसका नाम पड़ा।
  - ✧ एक अन्य मान्यता के अनुसार, मराठा काल में यहाँ बाबा पंजाबशाह का अढ़ाई दिन का उर्स होता था।

ख्वाजा साहब की दरगाह

- **प्रसिद्धि:**
  - ✧ देशी और विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं।
  - ✧ सभी धर्मों के लोगों के लिए ख्वाजा साहब की गहरी मान्यता।

राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल

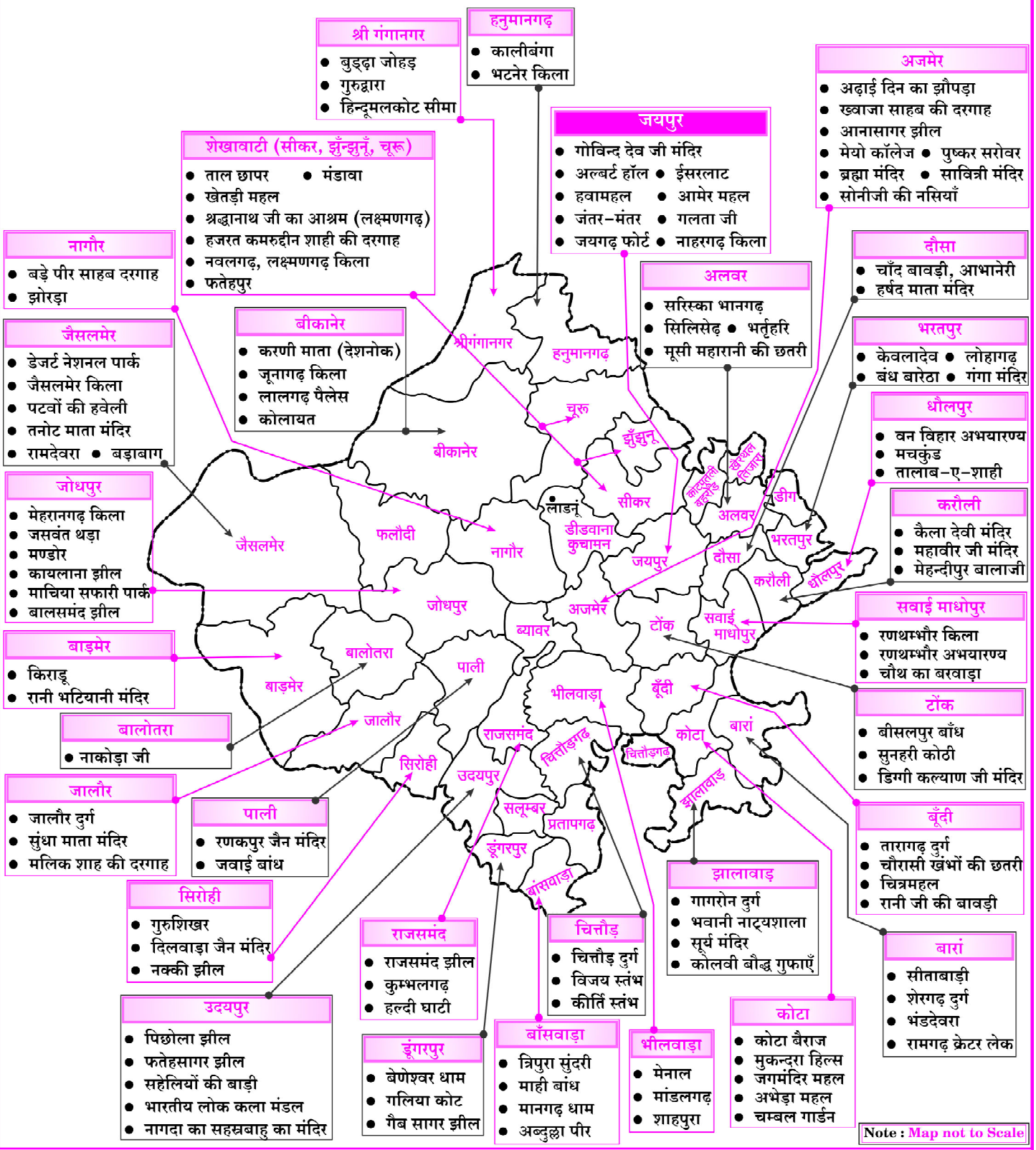

नोट:- बुद्धा सर्किट : दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोटपूतली-बहरोड़ एवं झालावाड़ जिलों में स्थित बैराठ (विराटनगर) एवं कोलवी-डग गुफाएँ (झालावाड़) को बुद्धा सर्किट के तौर पर विकसित किया गया है।

14 राजस्थान में परिवहन के साधन [Means of Transport in Rajasthan]

यातायात का महत्व

- किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में यातायात के साधन धमनियों और शिराओं की तरह कार्य करते हैं।
- स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ है।
- राज्य में सड़क, रेलवे और वायु परिवहन प्रमुख साधन हैं।
- हालांकि, इन क्षेत्रों में विकास की अभी भी अपार संभावनाएं हैं।

सड़क परिवहन

1. स्वतंत्रता के बाद सड़कों का विकास

- वर्ष 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 13,553 किमी थी।
- मार्च 2024 तक यह लंबाई बढ़कर 317121 किमी हो गई।

2. सड़कों के विकास की प्रगति

- स्वतंत्रता के बाद विभिन्न वर्षों में सड़क नेटवर्क के विकास को आंकड़ों के माध्यम से समझा जा सकता है।
- यह प्रगति राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेत है।

वर्ष	सड़कों की कुल लम्बाई
1950-51	17,339 कि.मी.
1990-91	58,350 कि.मी.
2000-01	87,462 कि.मी.
2010-11	1,89,402 कि.मी.
2020-21	2,72,959 कि.मी.
2021-22	2,78,813 कि.मी.
2022-23	3,01,811 कि.मी.

राजस्थान में सड़क परिवहन: प्रगति और स्थिति

1. सड़क घनत्व

- मार्च 2024 तक, राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 92.66 किमी है।
- राष्ट्रीय औसत घनत्व 165.24 किमी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है।

2. गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्थिति

- 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में 43,264 गांव हैं।
- मार्च 2024 तक, 39408 गांवों (91.09%) को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

3. सड़क रखरखाव और सार्वजनिक निर्माण विभाग का योगदान

- **राज्य की कुल 317121 किमी सड़कों में से:**
  - 187634 किमी सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाता है।

राज्य में 31 मार्च, 2024 तक सड़कों की लम्बाई

क्र. सं.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	10790	0.00	0.00	0.00	**10790**
2.	राज्य राजमार्ग	17325	4	19	28	**17376**
3.	मुख्य जिला सड़क	14118	17	112	125	14372
4.	अन्य जिला सड़क	53696	6020	198	8351	68265
5.	ग्रामीण सड़क	160219	2661	40407	3031	206318
महायोग		**256148**	**8702**	**40736**	**11535**	**206318**

(स्रोत–आर्थिक समीक्षा 2024-25)

राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

- मार्च 2024 तक, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10790 किमी है। राज्य से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण निम्नानुसार है:

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (अब NH 48, 56 एवं 58)

NH 48

- **लंबाई:** 709.91 किमी।
- **मार्ग:** दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई (हरियाणा सीमा, अलवर, बहरोड़, कोटपूतली, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, खेरवाड़ा, गुजरात सीमा) [लवण निरीक्षक 2019]

NH 56

- **लंबाई:** 245.96 किमी।
- **मार्ग:** चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, दाहोद, धरमपुर, वापी (गुजरात) तक

राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

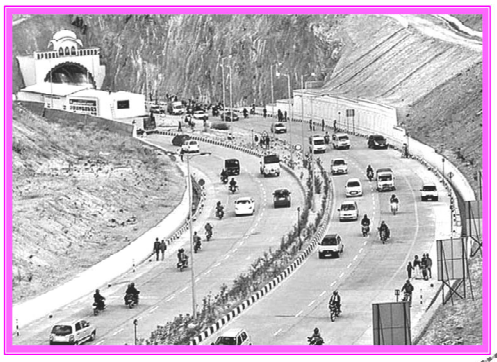

नोट:

- बाड़मेर के गांधव (बाखासर) में **NH-925A** पर वायुसेना की **आपातकालीन हवाई पट्टी** बनाई गई है। यह 33 मीटर चौड़ी व 3 कि.मी. लंबी है, जहाँ फाइटर प्लेन उतरने के साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। वर्ष 2019 में बनी यह पट्टी **भारतमाला परियोजना** के तहत् बनाई गई है।
- कोटा के निकट चम्बल नदी पर **राज्य का पहला हैंगिग ब्रिज** बनाया गया है।
- जयपुर-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे प्रदेश का पहला हाई-वे है, जहाँ **ई-टोल** शुरू किया गया है।
- देश की **पहली पॉल्यूशन फ्री टनल** जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर स्थित है। इसका नाम **घाट की गुणी सुरंग** है। केवलादेव अभयारण्य भी NH-21 पर स्थित है।

15 राजस्थान में कृषि परिदृश्य : प्रमुख फसलें, कृषिक्षेत्र की वर्तमान स्थिति एवं कृषि विपणन

[Agriculture Scenario in Rajasthan : Major Crops, Current Status of Agriculture Sector and Agriculture Marketing]

- राजस्थान में कृषि की विशेषताएं-खाद्यान्न फसलों की प्रधानता और शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है। राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण मानसून पर निर्भरता अधिक होती है, जिससे कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है। [JEN Elect. Degree 2020]
- वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा है। [CET (10+2) 2024] कम वर्षा से असिंचित फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।
- राजस्थान में प्रतिवर्ष कम एवं असमान वर्षा के कारण सूखे की स्थिति बनी रहती है। [जेल वार्डन 2018]

अध्ययन बिन्दु

- नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में कृषि परिदृश्य
- राजस्थान में कृषि फसलों के प्रकार, वितरण एवं उत्पादन
- राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश
- राज्य में कृषि के विविध प्रकार एवं कृषि विपणन
- राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ

राजस्थान में कृषि परिदृश्य: नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार

वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र का G.S.V.A. में योगदान

- स्थिर मूल्यों (2011-12) पर योगदान — 26.54 प्रतिशत
- प्रचलित मूल्यों पर योगदान — 26.92 प्रतिशत

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का आर्थिक योगदान

- **स्थिर मूल्यों (2011-12) पर:**
  - कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (G.S.V.A.) 2020-21 में ₹1.87 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹2.18 लाख करोड़ हो गया।
  - इसमें सालाना औसत वृद्धि दर 4.76% रही।
- **प्रचलित मूल्यों पर:**
  - 2011-12 में G.S.V.A. में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56% था, जो घटकर वर्ष 2024-25 में 26.92% हो गया।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान (2024-25)

- वर्ष 2024-25 में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों का योगदान प्रचलित मूल्यों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

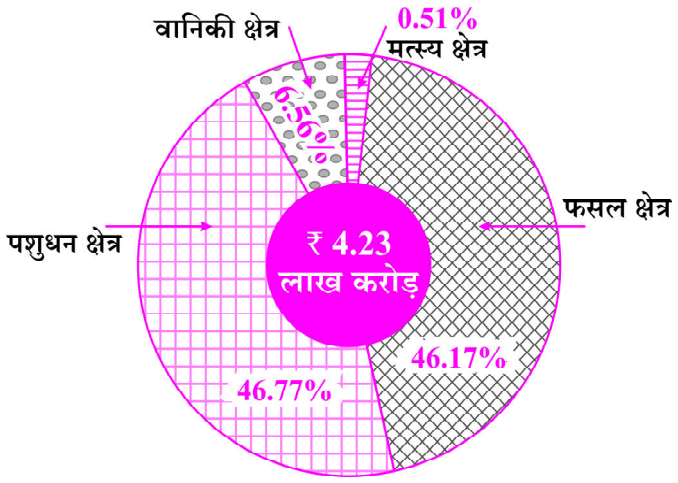

[CET (Grad.) 2024]

राजस्थान में भूमि उपयोग

- राजस्थान का भूमि उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यों में इस्तेमाल होने वाली भूमि की जानकारी देता है, जो भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- **कुल रिपोर्ट किया गया क्षेत्रफल (2023-24):** 342.74 लाख हेक्टेयर।
- भूमि उपयोग का विस्तृत विवरण विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है, जो राज्य के संसाधनों और योजनाओं को समझने में मदद करता है।

राजस्थान का भूमि उपयोग सांख्यिकी 2023-24

क्र. सं.	भूमि उपयोग श्रेणी	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1.	वानिकी	27.86	8.13%
2.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि	20.32	5.93%
3.	ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	23.62	6.89%
4.	स्थायी चारागाह तथा गोचर भूमि	16.49	4.81%
5.	वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	0.38	0.11%

गौशालाओं को अनुदान

- **अवधि में वृद्धि:** गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह की गई।
- **लाभ:** गौशालाओं को अधिक स्थिरता और आर्थिक सहायता।

राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाएँ (दिसंबर 2024 तक)

(1)	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय	—	73
(2)	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	—	857
(3)	पशु चिकित्सालय	—	2240
(4)	पशु चिकित्सा उप केन्द्र	—	7565
(5)	जिला चल पशु चिकित्सा इकाई	—	102

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम

डेयरी विकास का क्रियान्वयन

- **माध्यम:** सहकारी समितियों के जरिए डेयरी विकास कार्यक्रम संचालित।
- **उद्देश्य:** दूध उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **स्थिति (नवंबर 2024–25):**
  - 19054 दुग्ध सहकारी समितियाँ।
  - 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ।

राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)

- **स्थापना:** 1977, जयपुर।
- **कार्य:**
  - डेयरी विकास के लिए शीर्ष संस्थान। [जेल वार्डन 2018]
  - दुग्ध समितियों और संघों का प्रबंधन।

RCDF के प्रमुख कार्य

- सहकारी दुग्ध समितियों का गठन।
- छोटे और बड़े दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना।
- पशुओं की नस्ल सुधार।
- दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना और उत्पाद विपणन।
- उत्तम पशु चारा उपलब्ध कराना।
- पशुपालकों को ऋण सुविधाएँ।

सरस ब्रांड के उत्पाद

- डेयरी फेडरेशन द्वारा दूध, घी, पनीर, मक्खन, छाछ, और अन्य दुग्ध उत्पाद सरस ब्रांड के तहत उपलब्ध।

गहन डेयरी विकास कार्यक्रम

- **स्थान:** राज्य के सभी जिलों में गहन डेयरी विकास कार्यक्रम संचालित।

राजस्थान में डेयरी विकास और श्वेत क्रांति

दुग्ध उत्पादन और आपूर्ति

- RCDF से संबद्ध सभी दुग्ध संघों से प्रतिदिन औसतन 30.04 लाख किग्रा दुग्ध संकलित।
- दुग्ध संघों द्वारा 2024–25 के दौरान दुग्ध उत्पादकों को ₹3902 करोड़ का भुगतान।

श्वेत क्रांति

- **उद्देश्य:** राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना।
- **कार्यक्रम:**
  - **ऑपरेशन फ्लड–I:** पांचवीं पंचवर्षीय योजना।
  - **ऑपरेशन फ्लड–II:** छठी पंचवर्षीय योजना।
  - **ऑपरेशन फ्लड–III:** सातवीं पंचवर्षीय योजना।

दुग्ध उत्पादक और सहकारी समितियाँ

- **संबद्ध उत्पादक:** राज्य में 9.25 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी डेयरी कार्यक्रम से जुड़े हैं।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना

- **शुरुआत:** 1 जनवरी 2022 से।
- **अष्टम चरण:** 1 फरवरी 2024 से शुरू।
- **लाभ:**
  - दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख।
  - आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.50 लाख।
- **बीमा कवरेज (2024–25):** 1,53,508 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया।

सामाजिक दायित्व

- **बीमा सुविधा:** राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन और जिला दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादकों को बीमा सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं।

राजस्थान में डेयरी विकास से जुड़ी योजनाएँ और पहल

सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना

- **शुरुआत:** 18वें चरण के तहत दिसम्बर 2024 तक कुल 30690 दूध उत्पादकों को बीमित किया गया है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना

- **लाभ:** दुग्ध उत्पादकों को 5 प्रति लीटर की दर से अनुदान।
- **वित्तीय प्रावधान (2024–25):**
  - **कुल बजट:** ₹600 करोड़।
  - 2024–25 में ₹378.22 करोड़ का भुगतान।

महिला डेयरी विकास कार्यक्रम

- **संचालन:** जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, और सीकर की महिला सहकारी संस्थाओं द्वारा।
- **उद्देश्य:** महिलाओं को डेयरी क्षेत्र में सशक्त बनाना।

राजस्थान की प्रमुख डेयरियाँ

1. **पद्मा डेयरी (अजमेर):** राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, स्थापना: 1975।
2. **भोजूसर गाँव (बीकानेर):** राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति।
3. **URMUL Dairy (बीकानेर):** उत्तरी राजस्थान को–ऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड।
4. **WRMUL Dairy (जोधपुर):** वेस्टर्न राजस्थान को–ऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड।
5. **GANGMUL Dairy (गंगानगर):** गंगानगर को–ऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड।

17 राजस्थान के ऊर्जा संसाधन : परम्परागत एवं गैर-परम्परागत [Energy Resources of Rajasthan : Conventional & Non-Conventional]

ऊर्जा संसाधन: अर्थव्यवस्था की रीढ़

ऊर्जा संसाधन किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह सभी क्षेत्रों में आवश्यक और आधारभूत भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में ऊर्जा के परंपरागत और गैर-परंपरागत दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। यहां इस क्षेत्र में हुए विकास और नवाचार को समझना आवश्यक है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का विकास एवं वर्तमान नवाचार
- परम्परागत ऊर्जा संसाधन
- गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन
- ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ

राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का विकास और नवाचार

❖ **स्वतंत्रता के समय की स्थिति:**
- ✧ राजस्थान में 1947 में केवल 42 गांवों में बिजली थी।
- ✧ कुल स्थापित विद्युत क्षमता मात्र 13.27 मेगावाट थी।

❖ **विद्युत बोर्ड की स्थापना:**
- ✧ 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (RSEB) का गठन किया गया।
- ✧ यह बिजली उत्पादन, वितरण और हस्तांतरण की मुख्य एजेंसी थी।

❖ **विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन (2000):** 19 जुलाई 2000 को, ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती के लिए RSEB को पाँच कंपनियों में विभाजित किया गया:-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जयपुर)
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (जयपुर)
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर)
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर)
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर)

राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण (RERA):

❖ **स्थापना:** 2 जनवरी 2000।

❖ **मुख्यालय:** जयपुर।

❖ **मुख्य कार्य:**
- ✧ विद्युत कंपनियों को लाइसेंस जारी करना।
- ✧ विद्युत दरें तय करना।
- ✧ विद्युत कंपनियों का नियमन और नियंत्रण।

राजस्थान बायोफ्यूल नीति:

❖ **घोषणा:** वर्ष 2007।

❖ **उद्देश्य:**
- ✧ रतनजोत, करंज, जेड्रोफा जैसे तेलीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना।
- ✧ बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन।

❖ **बायोडीजल को बढ़ावा:**
- ✧ राजस्थान बायोडीजल नियम 2019 लागू किया गया।
- ✧ इसके तहत 11 बायोडीजल उत्पादकों और 88 मोबाइल रिटेल आउटलेट्स का पंजीकरण।

ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां:

❖ **कुल ऊर्जा क्षमता:** मार्च 2024 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 24783.64 मेगावाट थी, जो दिसम्बर 2024 तक बढ़कर 26325.19 मेगावाट हो गई है।

❖ **ग्रामीण विद्युतीकरण:** दिसम्बर 2024 तक,
- ✧ 43,965 गांवों का
- ✧ 1.14 लाख ढाणियों का
- ✧ 108.09 लाख ग्रामीण परिवारों का

❖ **ऊर्जा उपलब्धता:**
- ✧ 2020-21 में कुल ऊर्जा उपलब्धता 8561.36 करोड़ यूनिट थी।
- ✧ 2023-24 तक यह बढ़कर 10948.74 करोड़ यूनिट हो गई।
- ✧ 2020-21 से 2023-24 के बीच कुल ऊर्जा उपलब्धता में 27.87% की वृद्धि हुई।

राजस्थान में ऊर्जा के परंपरागत संसाधन

परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। इनमें **कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस** और **जलविद्युत** शामिल हैं। [REET Mains Sci/Math 2023, वनरक्षक 2022] हालांकि, 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली लघु जलविद्युत परियोजनाएं गैर-परंपरागत संसाधनों में गिनी जाती हैं।

कोयला: ऊर्जा का प्राचीन स्रोत

❖ **कोयले के प्रकार:**
- ✧ **एन्थ्रेसाइट:** सर्वोत्तम किस्म का कोयला, जिसमें 80% से अधिक कार्बन होता है।

21 राज्य में सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ [Socio-Economic Welfare Schemes in the State]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर. जी. ए.वी.पी.) राजीविका

- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में **अक्टूबर, 2010** में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई।
- यह परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा हैं।
- इस सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत् आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है।
- सभी ग्रामीण निर्धनों की पहचान सहभागिता पहचान प्रक्रिया और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) सर्वे द्वारा परिवारों को चिन्हित किया गया हैं।
- राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर. एल. एम)** को पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा हैं।
  - राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में **राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एन.आर.ई.टीपी.)** क्रियान्वित की जा रही हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं इसके द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। यह सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्वेच्छा से तैयार है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सी.एम.आर.ई.जी.एस.)

- राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सी.एम.आर.ई.जी.एस.) के तहत मनरेगा के तहत **100 दिन** का रोजगार पूरा होने पर **25 दिन** का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत, बारां जिले में निवासरत सहरिया जनजाति परिवारों, उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति परिवारों, और राज्य के विशेष योग्यजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी. एम. ए. वाई. -जी.)

- इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी-2011) के समंकों के आधार पर किया जाता है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि **₹1,20,000** देय है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि **₹12,000** देय है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी (90 मानव दिवस तक) भी देय है । व्यय राशि केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य **60:40** अनुपात में वहन की जाती है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. एल. ए. एल. ए.डी.)

- इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
- यह योजना नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए **₹5 करोड़** का आवंटन निर्धारित किया गया है।
- कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति / जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। माननीय विधायकों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए वार्षिक आंवटन के 20 प्रतिशत तक की सिफारिश की जा सकती है।
- इस योजनान्तर्गत पेयजल, सम्पर्क सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज कार्य, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में भवन निर्माण, पानी के टैंकों की सफाई, पारम्परिक जल स्रोतों का विकास, पर्यटन स्थलों का आधारभूत विकास, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय / औषधालयों के भवन निर्माण, राजकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरण, चिकित्सालय / औषधालय भवन निर्माण, बस स्टैण्ड, सामुदायिक केन्द्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में कम्प्यूटर्स एवं न्यायालयों के भवन आदि कार्य इस योजना के अन्तर्गत रखे गए हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल. ए.डी.)

- इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹ 5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के निर्वाचित राज्य सभा सदस्य राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

1 राजस्थान के इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्रोत [Important Sources of History of Rajasthan]

- राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास पुरातात्विक, साहित्यिक और अभिलेखीय सभी प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं।
- राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले 1871 ई. में **ए.सी.एल. कार्लाइल** के नेतृत्व में शुरू हुआ था।
- अरावली की पहाड़ियों जैसे बूंदी की छाजा नदी, कोटा की चंबल नदी के क्षेत्र, विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़), सोहनपुरा (सीकर) और हरसौरा (अलवर) आदि स्थानों पर प्रागैतिहासिक मानव के चित्रित शैलाश्रय पाए गए हैं।
- राज्य में विभिन्न शिलालेख, पत्थर की पट्टिकाएं, स्तंभ और ताम्रपत्र जैसी चीजों से उस समय की तिथियों और घटनाओं की जानकारी मिलती है।
- जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों का विवरण होता है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है।

राजस्थान के महत्त्वपूर्ण शिलालेख

क्र.सं.	अभिलेख	स्थापना वर्ष	विशेष विवरण
1.	**बड़ली का शिलालेख**	443 ई.पू.	• **बड़ली (अजमेर):** यह **राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है** और अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
2.	**घोसुण्डी शिलालेख** (वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित)	द्वितीय शताब्दी ई.पू.	• **घोसुण्डी गाँव (नगरी, चित्तौड़गढ़):** इस शिलालेख के कई हिस्से हैं, और यह संस्कृत भाषा (J.En. 2022) में **ब्राह्मी लिपि** [लवण निरीक्षक 2019] में लिखा गया है। इसे सबसे पहले **डी.आर. भंडारकर** ने पढ़ा था। यह भागवत धर्म से जुड़ा है और इसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा तथा गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है।
3.	**बसंतगढ़ शिलालेख**	625 ई.	• **बसंतगढ़ (सिरोही):** इस शिलालेख में **राजस्थानीयादित्य** शब्द का उल्लेख मिलता है, जो राजस्थान की प्राचीन पहचान को दर्शाता है।
4.	**अपराजित का शिलालेख**	661 ई.	• **नागदा (मेवाड़):** दामोदर द्वारा रचित इस शिलालेख में गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है।
5.	**मानमोरी शिलालेख** [वनपाल 2022]	713 ई.	• **मानसरोवर झील (चित्तौड़गढ़): कर्नल टॉड** को मिले इस शिलालेख में चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति और मोरीवंश के महेश्वर, भीम, भोज और राजा मान का उल्लेख है।
6.	**कणसवा शिलालेख**	738 ई.	• **कंसुआ गाँव (कोटा):** यहां के शिवालय में मिले शिलालेख में मौर्यवंश के **राजा धवल** का जिक्र है, जो राजस्थान के मौर्यवंश से संबंध को दर्शाता है।
7.	**घटियाला शिलालेख**	861 ई.	• **घटियाला (जोधपुर):** इस शिलालेख में मण्डोर के प्रतिहार शासक कक्कुक का उल्लेख है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शिलालेख के लेखक का नाम **मग** और उत्कीर्णकर्ता का नाम **कृष्णेश्वर** है।
8.	**सारणेश्वर प्रशस्ति**	953 ई.	• **सारणेश्वर मंदिर (उदयपुर):** इस प्रशस्ति से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर और शासकीय पदाधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है।
9.	**हर्षनाथ प्रशस्ति**	973 ई.	• **हर्षनाथ पहाड़ी (सीकर):** इस प्रशस्ति में **चौहान वंश** के इतिहास और उनकी उपलब्धियाँ तथा पाशुपत सम्प्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है।
10.	**किराडू शिलालेख**	1161 ई.	• **किराडू शिवमंदिर (बाड़मेर):** संस्कृत भाषा में लिखे इस शिलालेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है।
11.	**बिजौलिया शिलालेख** (रचयिता गुणभद्र)	1170 ई. (1226 वि.स.) [जेल वार्डन 2018]	• **बिजौलिया (भीलवाड़ा):** पार्श्वनाथ मंदिर की एक बड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण यह शिलालेख संस्कृत भाषा में है, जिसमें 93 पद्य हैं। इसमें चौहान वंश का इतिहास, उनकी कृषि, धर्म, शिक्षा प्रणाली और प्राचीन स्थलों की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को **वत्सगोत्रीय ब्राह्मण** बताया गया है तथा यह भी उल्लेख मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। [J.En. 2022]

- **मालव जनपद की स्थापना:** यहाँ पर उन्होंने अपनी शक्ति संगठित की और मालव जनपद की नींव रखी, जिसकी राजधानी **नगर** (टोंक) थी।
- **समुद्रगुप्त की अधीनता:** प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, मालव जनपद ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
- **सिक्कों का भंडार:** रैढ़ और नगर (टोंक) में उत्खनन से मालव जनपद के सिक्कों का बड़ा भंडार मिला है।

नोटः– नांदसायूप अभिलेख (भीलवाड़ा) के अनुसार, मालव राजा श्री सोम ने शक क्षत्रपों को हराकर एक **'षष्टीरात्र यज्ञ'** का आयोजन किया था।

राजस्थान के प्रमुख जनपद

- यूनानी लेखों के अनुसार, कुषाणकाल में दक्षिण–पश्चिम राजस्थान में 'आभीर जनपद' का उदय हुआ।
- **कुरू जनपद:** यह जनपद दिल्ली के आसपास फैला था, जिसमें राजस्थान के अलवर जिले का उत्तरी हिस्सा शामिल था। इसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ (वर्तमान दिल्ली) थी।
- **शूरसेन जनपद:** यह जनपद उत्तर प्रदेश में विस्तृत था, जिसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों के कुछ हिस्से भी आते थे। इसकी राजधानी **मथुरा** थी।
- **यौद्धेय जनपद:** राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, जिसे आज **'जोहियावाटी'** (वर्तमान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले) कहते हैं, में यौद्धेय (जोहिया) जाति का साम्राज्य था। रुद्रदामन के एक लेख से पता चलता है कि इस जाति ने कुषाणों को इस क्षेत्र से खदेड़ा था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक **कुमारनामी** था। यौद्धेय एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था।
- **जांगल जनपद:** यह जनपद वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी **अहिछत्रपुर** (नागौर) थी। बीकानेर के शासक स्वयं को इस क्षेत्र में **'जांगलधर बादशाह'** कहते थे।
- **अर्जुनायन जनपद:** यह जनपद अलवर–भरतपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। अर्जुनायन अपने ऐतिहासिक विजयों के लिए प्रसिद्ध हैं और इन शासकों को अर्जुन के वंशज माना जाता है। इनके सिक्कों पर **'अर्जुनायानाम जय'** लिखा हुआ मिलता है।
- **अवन्ति जनपद:** यह जनपद वर्तमान मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्से पर फैला था, जिसका कुछ हिस्सा **दक्षिण–पूर्वी राजस्थान** में भी शामिल था।
- **शाल्व जनपद:** महाभारत काल में यह जनपद अलवर क्षेत्र में फैला था। इसकी प्रमुख राजधानी **शोभानगरी** थी, और दूसरी राजधानी **मत्रिकावती** थी।
- **राजन्य जनपद:** यह जनपद भरतपुर क्षेत्र में स्थित था और इसका उल्लेख पाणिनी की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है।
- **मरू जनपद:** यह प्राचीन जनपद जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, और गंगानगर के अधिकांश भागों में फैला था। इसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और वृहतसंहिता जैसे ग्रंथों में भी मिलता है।

मगध साम्राज्य के अधीन राजस्थान

- **मगध का उत्कर्ष:** 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। मगध के शासकों ने धीरे–धीरे सभी जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रारंभ में राजस्थान मौर्य साम्राज्य के अधीन था, और बाद में गुप्त शासकों ने भी राजपूताना के कुछ हिस्सों पर शासन किया।
- **मौर्यकाल में राजस्थान:** मौर्य शासन के दौरान मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। विराटनगर में मिले अशोक के शिलालेख और मौर्यकालीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।
- **प्राचीन निर्माण:** 'कुमारपाल प्रबंध' के अनुसार, चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब मौर्य शासक **चित्रांगद** ने बनवाया था।
- **मानमोरी शिलालेख:** कर्नल जेम्स टॉड को चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर तालाब के पास 713 ई. का **'मानमोरी शिलालेख'** मिला था, जिसमें **माहेश्वर, भीम, भोज** और **मान** नामक मौर्य राजाओं का उल्लेख है। (इंग्लैंड ले जाते समय टॉड ने इसे समुद्र में गिरा दिया था)।
- **गुप्त साम्राज्य का शासन:** प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, समुद्रगुप्त ने राजपूताना के छोटे राज्यों से कर वसूला था। गुप्त शासक **चंद्रगुप्त द्वितीय** (विक्रमादित्य) का अधिकांश राजस्थान पर अधिकार था, और गुप्तों का शासन राजस्थान में 5वीं शताब्दी तक बना रहा।
- **हूणों का आक्रमण:** 6वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान पर हूणों के आक्रमण हुए। हूण शासक **मिहिरकुल** ने बाडौली (चित्तौड़) में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया।
- **मौखरी राजवंश:** 'बड़वा अभिलेख' के अनुसार, कोटा क्षेत्र में मौखरी राजवंश का भी शासन था।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. **बयाना (भरतपुर) का मुद्रा भंडार:** यहाँ मिले सिक्कों में सबसे अधिक गुप्त शासक **चंद्रगुप्त द्वितीय** के सिक्के हैं।
2. **नलियासर (सांभर) की खोज:** यहाँ से **कुमारगुप्त प्रथम** की मयूराकृति वाली चाँदी की मुद्रा प्राप्त हुई है।
3. **मौर्यकाल में वागड़ क्षेत्र:** मौर्य काल में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ या व्याघ्रवाट कहा जाता था।
4. **राजस्थान के युद्ध:** 712 से 740 ई. के बीच सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, कार्कोट और राष्ट्रकूट राजाओं तथा अरब के उमय्यद खलीफाओं के बीच युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में **''राजस्थान का युद्ध''** कहा जाता है।
5. **प्राचीन नाम:** प्राचीन काल में जैसलमेर को **'माड़'**, झालावाड़ को **'मालव प्रदेश'**, नागौर को **'सपादलक्ष'**, बीकानेर को **'जांगल'**, मारवाड़ को 'मरू' और जोधपुर के दक्षिणी हिस्से को **'गुर्जरत्रा'** कहा जाता था।

राजस्थान के प्रमुख किसान आन्दोलन

मेवाड़ के किसान आंदोलन

जाट किसान आंदोलन, मातृ कुंडिया (1880)

- यह आंदोलन मेवाड़ में महाराणा फतेहसिंह के शासन के दौरान हुआ। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के राशमी परगने में स्थित मातृकुंडिया धाम पर जाट किसानों ने नई भू-राजस्व व्यवस्था और जागीरदारों के दुर्व्यवहार के खिलाफ विद्रोह किया।
- यह आंदोलन जुलाई में समाप्त हो गया।

बिजौलिया किसान आंदोलन, भीलवाड़ा (1897-1941):

- भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत बिजौलिया आंदोलन से मानी जाती है।
- बिजौलिया ठिकाने की स्थापना 1510 ई. में राणा सांगा के समय **अशोक परमार** ने की थी।
- बिजौलिया के किसानों (अधिकतर धाकड़ जाति) से राव सवाई कृष्ण सिंह के शासन में **84 प्रकार के कर** वसूल किए जाते थे।
- इन करों के विरोध में 1897 में ऊपरमाल के किसान **'गंगाराम धाकड़'** के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गाँव में एकत्र हुए। वहाँ **नानजी पटेल** और **ठाकरी पटेल** को राव के अत्याचारों की शिकायत लेकर महाराणा के पास उदयपुर भेजा गया, लेकिन महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की।
- 1903 में जागीरदार **कृष्ण सिंह** ने **'चंवरी कर'** लगाया, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी पर 5 रुपये का कर देना पड़ता था। [CET 12th 2024]
- 1906 में उनके उत्तराधिकारी **पृथ्वी सिंह** ने **'तलवार बंधाई'** कर भी लगा दिया, जिससे करों का बोझ और बढ़ गया।
- जागीरदार की नीतियों से परेशान होकर **साधु सीतारामदास** ने बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की। शुरुआत में, सीतारामदास, फतेहकरण चारण, और ब्रह्मदेव कुमावत के नेतृत्व में किसानों ने जागीरदार के अत्याचारों का विरोध किया।
- सीतारामदास ने किसानों में जागरुकता फैलाने और उनके हितों की रक्षा के लिए बिजौलिया में **'मित्रमंडल'** नामक संगठन बनाया।
- साधु सीतारामदास के आग्रह पर 1916 में **विजय सिंह पथिक** इस आंदोलन में शामिल हुए। 1917 में उन्होंने बारीसल गाँव में **'ऊपरमाल पंच बोर्ड'** की स्थापना की और **मन्ना पटेल** को इसका अध्यक्ष बनाया। [J.En. 2022]
- आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा आश्रम और विद्या प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाएँ बनाई।
- बिजौलिया के किसान 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे।
- विजय सिंह पथिक ने **'प्रताप'** (कानपुर से प्रकाशित, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी) [REET (L-2) 2022] के माध्यम से आंदोलन को अखिल भारतीय पहचान दिलाई।
- इसके अलावा, **'अभ्युदय'** (प्रयाग से), **'भारत मित्र'** (कलकत्ता से) और **'मराठा'** (पुणे से, लोकमान्य तिलक द्वारा) जैसे समाचार पत्रों ने भी आंदोलन के समाचार नियमित रूप से प्रकाशित किए।
- लोकमान्य तिलक ने किसानों के कष्टों को जानकर महाराणा फतेहसिंह को पत्र लिखा।
- **अप्रैल 1919** में **बिंदुलाल भट्टाचार्य** (माण्डलगढ़ के हाकीम) की अध्यक्षता में एक **जाँच आयोग** बना, जिसमें **ठाकुर अमरसिंह** और **अफजल अली** सदस्य थे। आयोग ने गैर-कानूनी करों को बंद करने की सिफारिश की, लेकिन महाराणा ने इसका पालन नहीं किया। [CET(Grad.) 2024]
- पथिक ने 1919 और 1920 के कांग्रेस अधिवेशनों (अमृतसर और नागपुर) में हिस्सा लिया और आंदोलन को राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित किया, जिससे गांधीजी का आशीर्वाद मिला।
- महाराणा फतेहसिंह ने बिजौलिया के किसानों के कष्टों की आयोग की घोषणा की जिसमें ठाकुर राजसिंह, रामाकांत मालवीय एवं तख्तसिंह मेहता को सदस्य बनाया गया परन्तु आयोग बिजौलिया नहीं पहुँचा।
- माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल उदयपुर पहुँचा। वर्मा ने किसानों की कठिनाइयों एवं अत्याचारों का विवरण सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया।
- आयोग ने कृषकों की शिकायतों को सही माना परन्तु महाराणा ने आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया।
- बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े लोग एक-दूसरे को **कॉमरेड (साथी)** कहकर बुलाते थे।
- भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरन्त स्थापना की जाए अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। [CET(Grad.) 2024]
- 1922 में ए.जी.जी. हॉलैंड ने बिजौलिया में किसानों और ठिकाने के बीच समझौता कराया, जिसमें 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए, लेकिन ठिकाने ने समझौते का पालन नहीं किया।
- 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए, जिसके बाद **जमनालाल बजाज** और **हरिभाऊ उपाध्याय** ने आंदोलन का नेतृत्व किया।
- 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी. राघवाचार्य और राजस्व मंत्री डॉ. मोहनसिंह मेहता ने किसानों की मांगें मान लीं और उनकी जमीनें वापस कर दीं।

नोटः-
1. बिजौलिया आंदोलन राजस्थान का पहला संगठित और अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है। [स्टेनोग्राफर 2024] यह भारत का सबसे लंबा (44 वर्ष तक चलने वाला) किसान आंदोलन था।
2. **रमा देवी** ने बिजौलिया आंदोलन के तीसरे चरण में भाग लिया और 1930-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल होकर गिरफ्तार हुई। **अंजना देवी चौधरी** और **नारायणी देवी वर्मा** भी इस आंदोलन की प्रमुख नेत्रियाँ थीं।
3. **तुलसी भील** ने इस आंदोलन में संदेशवाहक का काम किया।
4. किसान पंचायतों को मजबूत करने के लिए 25 फरवरी 1922 को **पूर्वी मेवाड़ परिषद** की स्थापना की गई, जिसमें बेगूँ, बिजौलिया और पूर्वी मेवाड़ के गाँव शामिल थे।

बेगूं किसान आंदोलन (1921-25)

- आधुनिक चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं तहसील मेवाड़ रियासत के अधीन प्रथम श्रेणी का ठिकाना थी।

❖ **पुष्कर मेला:** पुष्कर में हर साल कार्तिक महीने में मेला आयोजित होता है, जहाँ विभिन्न पशुओं की खरीद-फरोख्त होती है। यह मेला विदेशी पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है और पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाता है।

नांद

❖ **ऐतिहासिक गाँव:** पुष्कर के पास अरावली की गोद में स्थित नांद गाँव एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से कुषाणकालीन चतुर्भुज शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसमें विष्णु, कृष्ण, बलराम और एकानंशा देवी की आकृतियाँ उकेरी हुई हैं।

टोड़ारायसिंह

❖ **प्राचीन नाम और इतिहास:** टोंक जिले में स्थित यह स्थान प्रथम शताब्दी ईस्वी में मालवगण का केंद्र था, जिसकी राजधानी **ककौटनगर** थी। इसका प्राचीन नाम **तक्षकपुर** था, लेकिन यहाँ के शासक रायसिंह सिसोदिया के नाम पर इसे ''टोड़ारायसिंह'' कहा जाने लगा।

बिजौलिया

❖ बिजौलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले [जेल वार्डन 2018] में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थान अपने प्राचीन मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहां से शिव मंदिरों की एक श्रृंखला भी प्राप्त हुई है। बिजौलिया, यहां से प्राप्त 1170 ई. का बिजौलिया शिलालेख के लिए भी जाना जाता है। जो राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इस लेख में चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। भारत में सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत बिजौलिया से मानी जाती है।

जयपुर संभाग के ऐतिहासिक स्थल

आमेर

❖ **स्थान और महत्व:** जयपुर से सात मील उत्तर-पूर्व में स्थित आमेर, जयपुर की स्थापना से पहले **'ढूंढाड़ राज्य की राजधानी'** था। दिल्ली-अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण मध्यकाल में इसका बहुत महत्त्व था।

आमेर किला, जयपुर

❖ **कच्छवाहा वंश और मुगल काल:** कच्छवाहा वंश की राजधानी आमेर का वैभव मुगल काल से शुरू होता है। आमेर किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

❖ **प्रासाद और मंदिर:** आमेर के भव्य प्रासाद और मंदिर **हिंदू और फारसी शैली के मिश्रित** रूप में बने हैं। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास (शीशमहल) इसकी कलात्मकता को दर्शाते हैं। यहाँ **जगतशिरोमणि मंदिर** और **शिलादेवी मंदिर** भी हैं, जिनका निर्माण मानसिंह के समय हुआ था। शिलादेवी की मूर्ति को मानसिंह बंगाल से जीतकर लाए थे। आमेर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

जयपुर

❖ **स्थापना और उपनाम:** भारत का ''पेरिस'' और ''गुलाबी नगर'' के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना **1727** में **सवाई जयसिंह** ने की थी। कच्छवाहा राजाओं की राजधानी जयपुर अपने स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।

❖ **स्थापत्य शैली:** यहाँ के स्थापत्य में **राजपूत और मुगल शैली** का सुंदर मिश्रण देखा जा सकता है।

❖ **यूनेस्को मान्यता:** जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 में धरोहर स्थल घोषित किया गया है। [संगणक 2024]

❖ **प्रमुख स्थल:**

✧ **सिटी पैलेस:** जयपुर राजपरिवार का निवास स्थल, और इसके पास ही सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित गोविन्ददेवजी का मंदिर है।

✧ **जन्तर-मन्तर:** सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित यह वैधशाला खगोलीय महत्व रखती है। यहाँ की सम्राट यंत्र को विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी माना जाता है।

✧ **अन्य आकर्षण:** नाहरगढ़ किला, हवामहल, रामनिवास बाग, और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भी जयपुर के दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल हैं।

अल्बर्ट हॉल, जयपुर

मण्डावा

❖ **स्थान और महत्व:** झुंझुनूं में स्थित मण्डावा, शेखावाटी अंचल का एक प्रमुख कस्बा है, जो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। इसके चारों ओर रेगिस्तानी टीलें है।

❖ **प्रसिद्ध हवेलियाँ और भित्ति चित्र:** यहाँ के सेठों की हवेलियाँ, उनका स्थापत्य और भित्ति चित्र कला एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। **गोयनका की हवेली, लाड़ियों की हवेली** आदि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं।

महनसर

❖ **पोद्दारों की सोने की दुकान:** झुंझुनूं में महनसर कस्बा हरचंद पोद्दार द्वारा बनवाई गई पोद्दारों की सोने की दुकान के लिए जाना जाता है। इस दुकान के भित्ति चित्रों में **राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण** है, जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है।

1 राजस्थान की स्थापत्य कला [Architecture of Rajasthan]

स्थापत्य: संस्कृति और इतिहास की झलक

- मानव सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य एक ऐसी शृंखला है, जो सदियों की बिखरी कड़ियों को जोड़कर समाज की असली सांस्कृतिक तस्वीर प्रस्तुत करती है।
- प्राचीन और आधुनिक इतिहास की संस्कृतियों को समझने में स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है।
- इसी कारण राजस्थानी कहावत में कहा गया है, **''नावं गीतड़ा नूं भीतड़ा सूं रहवे''** अर्थात स्मृति या तो गीतों में जीवित रहती है या स्थापत्य में।
- राजस्थान की अनोखी भौगोलिक स्थिति ने यहां के स्थापत्य में विविधता लाई है, जो मंदिरों, किलों, महलों और हवेलियों के रूप में यहाँ के गौरवशाली अतीत को दर्शाती है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य– प्रमुख दुर्ग
- राजस्थान के प्रमुख स्मारक– महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ
- राजस्थान में मंदिर स्थापत्य– वास्तुशैलियाँ, प्रमुख मंदिर
- राजस्थान में विश्व विरासत के महत्त्वपूर्ण स्थल

राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य

- **राजस्थान के दुर्गों का विशेष महत्व:** राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक दुर्ग बने हैं, जो इस क्षेत्र के शिल्प और स्थापत्य की धरोहर हैं।
- **दुर्ग स्थापत्य का विकास:** राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे पुराना उदाहरण **कालीबंगा** की खुदाई में मिलता है।
- **मौर्य, गुप्त और बाद के युग:** इन कालों में दुर्ग निर्माण में मंदिरों और जलाशयों को विशेष रूप से महत्व दिया गया।
- **तुर्क–अफगान शासन काल (13वीं सदी):** इस काल में सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया और दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाने लगे।
- **मुगल–राजपूत संबंधों का प्रभाव:** मुगलों के साथ संबंध मधुर होने पर राजपूत शासकों ने पहाड़ों से नीचे आकर समतल मैदानों में दुर्गों का निर्माण किया, जैसे- बीकानेर, जयपुर और भरतपुर।
- **शुक्रनीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार**
  1. **औदक दुर्ग (जलदुर्ग):** जो दुर्ग बड़े जलाशयों से घिरा हो, जैसे- गागरोण दुर्ग। [वनपाल 2022]
  2. **गिरि दुर्ग:** जो ऊंचे पहाड़ पर स्थित हो।
  3. **धान्वन दुर्ग:** मरुभूमि में बना दुर्ग, जैसे- जैसलमेर दुर्ग।
  4. **वन दुर्ग:** घने जंगल में स्थित दुर्ग, जैसे- सिवाना दुर्ग।
  5. **पारिख दुर्ग:** जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो, जैसे- भरतपुर और बीकानेर दुर्ग। [REET Mains Sci/Math 2023]
  6. **एरण दुर्ग:** जिनका मार्ग खाई, कांटे और पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे- चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग।
  7. **पारिध दुर्ग:** जिसके चारों ओर बड़ी-बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे- चित्तौड़, जैसलमेर।
  8. **सैन्य दुर्ग:** जहां कुशल सैनिक युद्ध की तैयारी में रहते हों। [CET(10+2) 2024]
  9. **सहाय दुर्ग:** जिसमें शूरवीर और समर्थ सहयोगी रहते हों।

नोट:– **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रमुख दुर्ग:** राज्य के 6 पहाड़ी किलों चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथम्भौर, गागरोन, जैसलमेर और कुम्भलगढ़ को वर्ष 2013 में नोमपेन्ह में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली।

राजस्थान के प्रमुख दुर्ग

चित्तौड़गढ़ दुर्ग

- **चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महत्व:** इसे **'राजस्थान का गौरव'** और **'गढ़ों का सिरमौर'** कहा जाता है। मध्यकाल में यह दुर्ग दिल्ली–मालवा–गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था।
- **निर्माण और इतिहास:**
  - वीर विनोद एवं कुमारपाल प्रबंध के अनुसार मौर्य शासक **चित्रांग मौर्य** [वनरक्षक 2022, संगणक 2024] ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और इसे **चित्रकोट** दुर्ग नाम दिया।
  - 8वीं शताब्दी में **बप्पारावल** ने मौर्य शासक मान मोरी को पराजित कर इस पर अधिकार किया।
- **स्थान:** यह दुर्ग **'मेसा के पठार'** पर स्थित है और इसमें **सात अभेद्य प्रवेश द्वार** हैं:- पाडनपोल, भैरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोड़तापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल।
- **विशेषता:** गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित यह दुर्ग **राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट** माना जाता है। इसकी प्रसिद्धि इस उक्ति से स्पष्ट होती है:- ''गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया।''

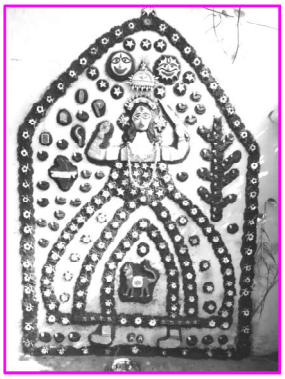

- **विधि:** कुंवारी कन्याएँ दीवारों पर 15 दिनों तक गोबर से आकार उकेरती हैं और पूजा करती हैं।
- **उद्देश्य:** सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर और घर की कामना की जाती है।
- **विशेषता:** अंतिम 5 दिनों में बड़े आकार की सांझी रचना, जिसे **'संझया कोट'** कहा जाता है।

मांडणा

- **अवसर:** मांगलिक अवसरों पर अमूर्त ज्यामितीय शैली में प्राकृतिक रंगों से चित्रण। [CET(10+2) 2024]
- **विशेष मांडण:** तीर्थयात्रा से सकुशल घर लौटने पर 'पुष्कर पेड़ी' और 'पथवारी' मांडी जाती है।

फड़चित्रण [JEN Mech. Dip. 2020]

- **स्थान:** शाहपुरा (भीलवाड़ा) में।

- **चित्रण:** छीपा जाति के जोशी चितेरे पट-चित्रण (मोटे सूती कपड़े पर) [CET(10+2) 2024] करते हैं, जिसे फड़ कहते हैं।
- **प्रमुख कलाकार:** श्री लाल जोशी। [वनपाल 2022, CET(10+2) 2024]
- **प्रसिद्ध फड़:** पाबूजी की फड़, जिसे भोपे गाँव-गाँव जाकर कथात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। [REET Mains Sanskrit 2023, REET L-1 2023]

पाने

- **विवरण:** विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर देवी-देवताओं के कागज पर बने चित्र (पाने) [CET(10+2) 2024] प्रतिष्ठापित किए जाते हैं।
- **प्रसिद्ध उदाहरण:** श्रीनाथजी का पाना, जिसमें चौबीस शृंगारों का सुंदर चित्रण होता है और यह अत्यधिक कलात्मक होता है।

कावड़

- **रचना:** कावड़ एक मंदिरनुमा **लकड़ी की कलाकृति** [CET(10+2) 2024] है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं।
- **चित्रण:** इन द्वारों पर महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला के पात्रों और घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इसमें लाल रंग का प्रमुखता से प्रयोग होता है।
- **विशेष स्थान:** यह कला चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव में खैरादी समुदाय का पुश्तैनी व्यवसाय है, जिसमें **मांगीलाल मिस्त्री** [वनरक्षक 2022] विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

गोड़लिया

- **विवरण:** पशुओं के शरीर पर पहचान के लिए कलात्मक दाग दिए जाते हैं, जिन्हें **'अटेरना'** क्रिया से बनाया जाता है, और इन निशानों को 'गोड़लिया' कहा जाता है।

वील

- **विवरण:** पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में बांस की खपच्चियों से बनाई गई संरचना, जिसमें छोटे गवाक्ष और जालियाँ होती हैं। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं सजाई जाती हैं।

कठपुतली

- **विवरण:** धागों से चलने वाली काष्ठ की कठपुतलियाँ राजस्थानी कला की देन मानी जाती हैं।
- **प्रसिद्धि:** 1965 में रूमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मण्डल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

पथवारी [JEN Mech. Dip. 2020]

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पथरक्षक रूप में पूजे जाने वाले स्थल को पथवारी कहते है। इस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते है।
- तीर्थ यात्रा पर जाते समय इसकी पूजा की जाती है।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? [Revenue Officer • 23-03-25]

(A) किशनगढ़ (B) जैसलमेर
(C) बूंदी (D) अलवर **[A]**

2. मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाणा कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? [Librarian • 16-02-25]

(A) घाणेराव (B) बनेड़ा (C) रियाँ (D) भिणाय **[B]**

3. सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाये गये कारखाने क्या कहलाते थे? [Librarian • 16-02-25]

(A) ख्यालखाना (B) मोदीखाना
(C) तोशाखाना (D) सूरतखाना **[D]**

4. सूची - I व सूची-II को सुमेलित करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों एवं उनके चित्रकारों के संबंध में सही विकल्प चुनिये : [RAS (Pre) • 02-02-25]

सूची-I		सूची-II	
a.	किशनगढ़	i.	साहिबदीन
b.	बीकानेर	ii.	निहालचंद
c.	मेवाड़	iii.	अली रज़ा
d.	मारवाड़	iv.	शिवदास

कूट :	(a)	(b)	(c)	(d)	
(A)	ii	iv	i	iii	
(B)	ii	iii	i	iv	
(C)	ii	iii	iv	i	
(D)	ii	i	iii	iv	**[B]**

राजस्थान में स्त्रियों के प्रमुख आभूषण

राजस्थान में स्त्रियों के आभूषण : एक नज़र में

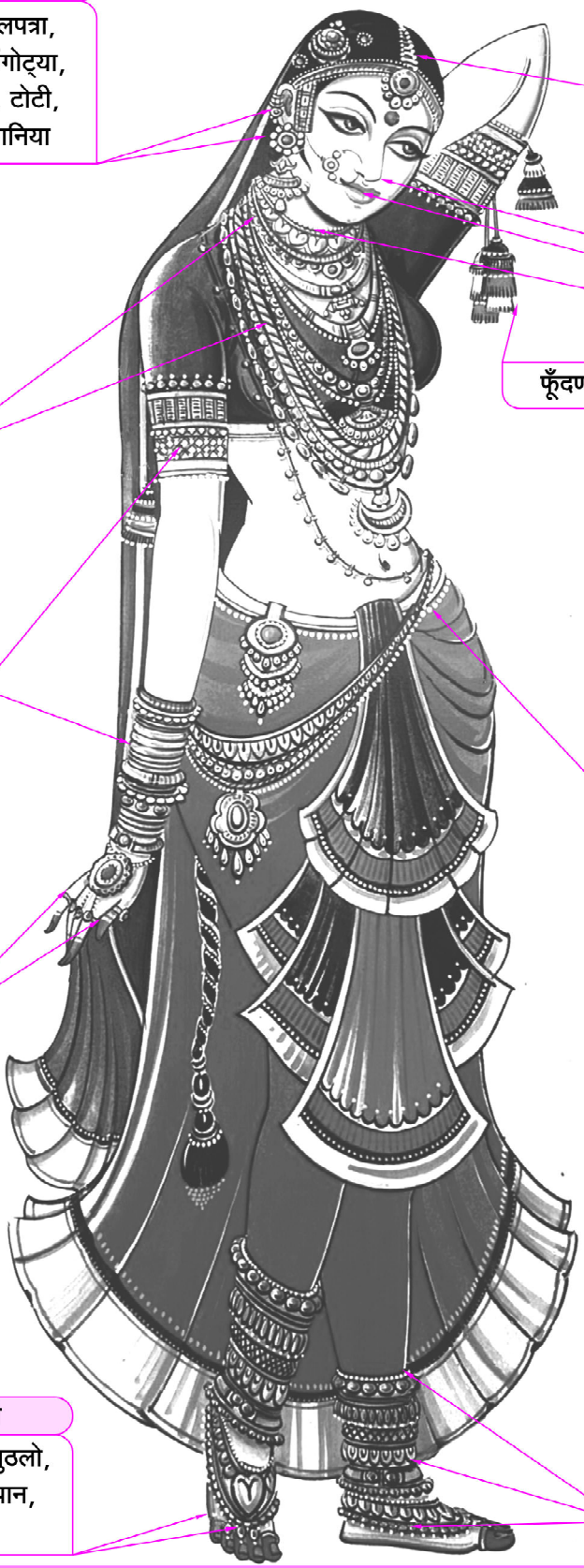

कान
कर्णफूल, पीपलपत्रा, फूल झूमका, अंगोट्या, झेला, लटकन, टोटी, एरंगपत्तों, ओगनिया

सिर
बोर, बोरला, शीशफूल, टीका, रखड़ी, टिकड़ा, मेमंद

नाक
नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चोप, भँवरकड़ी

गला व वक्ष
तुलसी, बजट्टी, हालरो, कांठलियौ, हाँसली, तिमणियाँ, पोत, कंठसरी, चन्द्रहार, कंठमाला, हमेल, मांदल्या, चपकली, हंसहार, सरी, कण्ठी

दाँत
रखन, चूंप और धांस

फूँदणा

हाथ
कड़ा, कंकण, मोकड़ी, नोगरी, कातर्या, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, बाजूबंद, नवरतन, भूजबंद, आरसि, अणत, अड़कणी

कण्ठ
थमण्यो, थेड्यो, आड़, मूँठया, झालरा, ठुस्सी

कमर
कन्दोरा [JEN Elect. 2020], करधनी, तगड़ी/तागड़ी, कणदोरों, कणकती, जंजीर, मेरवल्ला, सटको

उंगलियों में
बींटी, दामणा, हथपान, छड़ा, मूंदड़ी, अंगुठी, अरसी, अंगुथल्लौ

पाँव
कड़ा (कड़लौ), लंगर, पायल (कंकणी), पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झाँझर, नेवरी, टनका, आवंला, हीरानामी, रमझौल [VDO 2021]

पैर की अंगुली
फोलरी, बिछिया, गुठलो, गोर, गोल्या, पगपान, बिछुड़ी

8 राजस्थान के प्रमुख लोक-देवता एवं देवियाँ [Major Folk Gods and Goddesses of Rajasthan]

- **वीर महापुरुष:** राजस्थान में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने वीरता, दृढ़ आत्मबल और साहस से समाज को नई दिशा दी।
- **धर्म और कल्याण के लिए बलिदान:** इन महापुरुषों ने प्राणिमात्र के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
- **लोक देवताओं का दर्जा:** कालांतर में इन महान वीरों को राजस्थान की जनता ने लोक देवता और देवी के रूप में पूजा और सम्मान दिया।

राजस्थान के प्रमुख लोक देवता

बाबा रामदेवजी (1405-1458 ई.)

- **जन्म और परिवार:** बाबा रामदेवजी का जन्म **1405 ई.** में भादवा सुदी द्वितीया के दिन **ऊंडू-कामेसर गाँव** के पास, शिव तहसील (बाड़मेर) में हुआ। वे तंवर वंशीय राजपूत थे। उनके पिता का नाम **अजमलजी,** माता का नाम मैणादे, पत्नी का नाम **नेतलदे** और गुरु का नाम **बालीनाथजी** था।

बाबा रामदेवजी

- **धार्मिक पहचान:** हिंदू समुदाय उन्हें भगवान **कृष्ण का अवतार** मानता है, जबकि मुस्लिम उन्हें **'रामसा पीर'** के रूप में पूजते हैं। मेघवाल समाज में इनके भक्त **'रिखिया'** कहलाते हैं, और उनकी धर्म-बहिन **डालीबाई** मेघवाल थीं।
- **कवि और समाज सुधारक:** रामदेवजी ने **'चौबीस वाणियाँ'** नामक ग्रंथ की रचना की और **'कामड़ पंथ'** की स्थापना की। [वनरक्षक 2022] कामड़ लोग भगवा पगड़ी बाँधते हैं और रामदेवजी के भजनों (जम्मा) का जागरण करते हैं।
- **लोक नृत्य:** पादरला गाँव (पाली) की कामड़ जाति की महिलाएं उनके सम्मान में **'तेरह ताली नृत्य'** करती हैं।
- **वंश और उपासना:** रामदेवजी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर (तंवर) के वंशज थे। उनके पदचिह्नों (पगलियों) की पूजा की जाती है, और उनके मंदिरों पर पंचरंगी ध्वजा **(नेजा)** फहराई जाती है।
- **रामदेवरा का मेला:** हर साल रामदेवरा (रूणेचा) गाँव में उनकी समाधि पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला आयोजित होता है, जो साम्प्रदायिक और जातिगत सद्भाव का प्रतीक है।
- **बाबेरी बीज:** भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 'बाबेरी बीज' (दूज) के नाम से जाना जाता है।
- **लोक परंपराएं:** उनके चमत्कारों को **'पर्चा'** कहा जाता है, और उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को **'ब्यावले'** कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी वृक्ष के नीचे ऊँचे चबूतरे पर उनके प्रतीक चिह्न **'पगलिये'** स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें **'थान'** कहा जाता है।
- **समाधि:** 1458 ई. [जेल वार्डन 2018] में भाद्रपद एकादशी के दिन रामदेवजी ने पोकरण के पास राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली।
- **समाज सुधारक:** बाबा रामदेवजी वीर होने के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्तिपूजा और तीर्थयात्रा का विरोध किया।

पाबूजी (1239-1276 ई.) [J.En. 2022]

- **जन्म और विवाह:** पाबूजी का जन्म फलौदी के **कोलूमण्ड गांव** [वनरक्षक 2022] में **धाँधलजी राठौड़** और **कमलादे** के घर हुआ। उनका विवाह अमरकोट (अब पाकिस्तान) के शासक राणा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री **फूलमदे (सुप्यारदे)** के साथ हुआ।
- **गौ रक्षा और वीरगति:** उनके बहनोई जिंदराव खींची, जब देवल बाई की गायों को लूटकर ले जाने लगे, तो पाबूजी ने विवाह के चौथे फेरे को बीच में छोड़कर गायों को बचाने के लिए युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। उनकी समाधि जोधपुर के देचू गाँव में है।
- **केसर कालमी घोड़ी:** देवल चारणी ने पाबूजी को युद्ध के लिए अपनी प्रसिद्ध 'केसर कालमी' घोड़ी दी थी।
- **ऊँट पालन का श्रेय:** मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। [VDO 2021] ऊँट पालक राइका जाति उन्हें अपना आराध्य मानती है और ऊँट के बीमार होने पर उनकी पूजा करती है। इन्हें **प्लेगरक्षक** एवं **ऊँटों के देवता** [REET (L-1) 2021, वनरक्षक 2022, VDO 2021] भी कहा जाता है। [जेल वार्डन 2018]
- **लक्ष्मणजी का अवतार:** ग्रामीण जनमानस पाबूजी को 'लक्ष्मणजी का अवतार' मानते है।
- **लोक देवता का दर्जा:** पाबूजी को वीरता, प्रतिज्ञापालन और गौ रक्षा के लिए बलिदान देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका मुख्य पूजा स्थल **कोलू (फलौदी)** में है।
- **फड़ का वाचन:** पाबूजी की 'फड़' का वाचन भील जाति के भोपे **रावणहत्था** वाद्ययंत्र के साथ करते हैं। यह सबसे लोकप्रिय फड़ है। **'पाबूजी के पवाड़े'** माठ वाद्ययंत्र के साथ रेबारी चरवाहे गाते हैं।
- **प्रतीक:** पाबूजी का प्रतीक एक भाला लिए हुए अश्वारोही है, इसलिए उन्हें **'पाबू भालालौ'** के नाम से भी जाना जाता है। मेहर मुसलमान उन्हें पीर मानते हैं।
- **विशाल मेला:** हर साल **चैत्र अमावस्या** पर **कोलूमण्ड** में पाबूजी का विशाल मेला आयोजित होता है।
- **मुख्य स्रोत:** आशिया मोडजी का ग्रंथ **'पाबू प्रकाश'** उनके जीवन की जानकारी का प्रमुख स्रोत है।

गोगाजी

- **जन्म और परिवार:** गोगाजी का जन्म **946 ई.** में चूरू जिले के **ददरेवा गांव** में हुआ।[REET Mains 2023] उनके पिता का नाम **जेवरसिंह**

1 राज्यपाल [Governor]

राज्यपाल की भूमिका और कार्यप्रणाली (संविधान का भाग-6)

- **अनुच्छेद 152 से 234**—इन अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य सरकार और उसकी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है।
- **अनुच्छेद 153**—प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। [CET(10+2) 2024]
- **7वाँ संविधान संशोधन (1956)**—इस संशोधन के बाद, एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है।
- **राज्यपाल की भूमिका**—राज्यपाल केन्द्र और राज्य के बीच एक कड़ी का काम करता है। उसे एक ओर राज्य के विकास और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **कई भूमिकाओं का निर्वाह**—राज्यपाल एक साथ कई महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है, जिसमें राज्य के संवैधानिक प्रधान, स्थानीय विकास के समर्थक और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में काम करना शामिल है।

राज्यपाल की नियुक्ति, अर्हताएँ और शपथ

- **नियुक्ति (अनुच्छेद-155)**—राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। [जेल वार्डन 2018] राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और साथ ही संघ सरकार का एजेंट भी होता है।
- **राज्यपाल पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ (अनुच्छेद-157 और 158):**
  1. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. उसकी आयु **35** वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. राज्यपाल के पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी राज्य या संघ क्षेत्र की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
  4. राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- **शपथ ग्रहण (अनुच्छेद-159)**—राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। वह संविधान की रक्षा और संरक्षण की शपथ के साथ, जनकल्याण और लोगों की भलाई के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है।

राज्यपाल का कार्यकाल

- **कार्यकाल की शर्तें (अनुच्छेद-156):**
  1. **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पर पद**—राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है, जो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। [CET(10+2) 2024]
  2. **5 वर्ष का कार्यकाल**—राज्यपाल की नियुक्ति **5** वर्षों के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है।

नोटः– अप्रैल 2007 में न्यायाधीय मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित पुंछी आयोग ने राज्यपालों के लिए पाँच वर्ष के निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की थी।

  3. **पद त्याग**—राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है।

नोटः– **बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)**—इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता।

राज्यपाल का वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार

वेतन एवं भत्ते

- राज्यपाल का वेतन और भत्ते संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन **₹3,50,000** है।
- यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उन राज्यों के बीच वेतन और भत्तों का खर्च राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में बाँटा जाएगा।
- राज्यपाल के वेतन और भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती।
- राज्यपाल को शासकीय आवास का निःशुल्क उपयोग का अधिकार है।

विशेषाधिकार (अनुच्छेद 361)

1. राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता।
2. राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।
3. राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल मामला दर्ज किया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें हैं—
   - ✧ व्यक्ति को अपना नाम, पता और मामला दर्ज करने का आधार बताना होगा।
   - ✧ राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी।
   - ✧ सूचना देने के बाद कम से कम **2** माह का समय देना होगा।

नोटः– सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, राज्यपाल को मिले विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए नहीं हैं।

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

- **मंत्रिपरिषद में भूमिका :** भारतीय संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 163 और 164 के तहत, राज्य की मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है।
- मुख्यमंत्री राज्य की **कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख** होता है।

मुख्यमंत्री पद की योग्यताएँ

- **संविधान में उल्लेख :** भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए विशेष योग्यताओं का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- आमतौर पर मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा में निर्वाचित विधायकों में से ही नियुक्त किया जाता है। अतः मुख्यमंत्री बनने के लिए वही योग्यताएँ जरूरी हैं जो एक विधायक (MLA) बनने के लिए आवश्यक होती हैं।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

- **नियुक्ति का प्रावधान :** अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। [VDO 2021]
- **बहुमत दल का नेता :** राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।
- **स्पष्ट बहुमत न होने पर :** यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर, आमतौर पर सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे सदन में बहुमत सिद्ध करने का अवसर देता है।

मुख्यमंत्री की शपथ

- **राज्यपाल के समक्ष शपथ** : मुख्यमंत्री राज्यपाल के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जिसमें वे निम्नलिखित बातों का संकल्प लेते हैं:
  - भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी रखना।
  - भारत की प्रभुत्वता और अखंडता को बनाए रखना।
  - अपने दायित्वों का श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करना।
  - बिना भय, पक्षपात, अनुराग, या द्वेष के सभी लोगों के प्रति संविधान और कानून के अनुसार न्याय करना।

कार्यकाल

- **सामान्य कार्यकाल :** सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
- **त्यागपत्र देने की स्थिति :** यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत या विश्वास खो देते हैं, तो वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं।

वेतन और भत्ते

- **वेतन और भत्तों का निर्धारण :** मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
- **अतिरिक्त सुविधाएँ :** वेतन और भत्तों के अलावा, मुख्यमंत्री को निःशुल्क आवास, यात्रा और चिकित्सा सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ

- **मुख्यमंत्री की कार्यपालिका भूमिका :** राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्यों को व्यावहारिक रूप से मुख्यमंत्री ही संपादित करते हैं।
- **विधानसभा में बहुमत का प्रभाव :** मुख्यमंत्री की शक्ति विधानसभा में उसके बहुमत पर निर्भर होती है। यदि मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो उसकी शक्ति अधिक होती है। यदि वह गठबंधन पर निर्भर है, तो उसकी वास्तविक शक्तियाँ सीमित हो सकती हैं।
- **मुख्यमंत्री के मुख्य कार्य :** यद्यपि संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन नहीं है, फिर भी व्यावहारिक रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित कार्य करते हैं:-
  - **मंत्रिपरिषद का गठन और विभागों का वितरण :** मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं और मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करते हैं।
  - **मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति :** मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति की सिफारिश करते हैं।
  - **संसदीय सचिव की नियुक्ति:** संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा ही होती है।
  - **मंत्रिमण्डल का नेतृत्व :** मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को दिशा-निर्देश देता हैं, उनकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, और राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
  - **नीतियों की घोषणा :** वह सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में नीतियों और योजनाओं की घोषणा करता हैं।
  - **राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष :** मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। [CET (10+2) 2024, CET (10+2) 2024]
  - **प्रमुख प्रशासनिक भूमिका :** शासन का प्रमुख होने के नाते, सामान्य प्रशासन, योजना और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं।
  - **विभागों में समन्वय :** मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संतुलन बनाए रखते हैं।
  - **नीति, अध्यादेश और बजट में भूमिका :** मुख्यमंत्री नीति-निर्माण, अध्यादेश और बजट तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **केन्द्रीय प्रशासनिक कार्य :** केंद्रीय नीतियों और योजनाओं का राज्य में क्रियान्वयन, राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेते हैं।
- **लोक सेवकों के प्रमुख :** मुख्यमंत्री राज्य के लोक सेवकों के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
- **राज्यपाल के सलाहकार :** मुख्यमंत्री राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
- **जनसंपर्क कार्य :** मीडिया के माध्यम से जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री के कर्तव्य

संविधान के अनुच्छेद 167 के अंतर्गत, मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:- [टैक्स असिस्टेंट 2018, CET (10+2) 2024]

1. **राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देना :** मुख्यमंत्री

- **प्रोटेम स्पीकर और अध्यक्ष:** चौदहवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर प्रद्युम्न सिंह और अध्यक्ष कैलाश मेघवाल थे।
- इन विधानसभा चुनावों में पहली बार NOTA (None of the Above) बटन को शामिल किया गया। मतदाता इस गुलाबी रंग के बटन को दबाकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकते है।

पन्द्रहवीं विधानसभा (2018-2023)

- **कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल:** 15वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतीं, और निर्दलीय व बसपा विधायकों के सहयोग से अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने।
- **अन्य दलों की सीटें:** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 73 सीटें मिलीं, बसपा को 6, RLP को 3, BTP को 2, माकपा को 2 और 13 सीटें निर्दलीयों ने जीतीं।
- **महिला सदस्यों की संख्या:** 15वीं विधानसभा में कुल 25 महिला सदस्य चुनी गई।
- **मतदान प्रतिशत:** कुल मतदान प्रतिशत 74.69% रहा। जैसलमेर में सर्वाधिक 85.4% मतदान हुआ, जबकि पाली में न्यूनतम 65.31% मतदान हुआ।

सोलहवीं विधानसभा (15 दिसंबर 2023 से अब तक)

- **भाजपा की जीत:** 16वीं विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की तथा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया।
- **सीटों की संख्या:** इस विधानसभा में भाजपा ने 114, कांग्रेस ने 65, BAP ने 3, बसपा ने 2, RLD ने 1 एवं निर्दलीय ने 8 सीटों पर जीत हासिल की।
- **महिला सदस्यों की संख्या:** 16वीं विधानसभा में कुल 20 महिला सदस्य चुनी गई जिनमें 9 भाजपा, 9 कांग्रेस एवं 2 अन्य शामिल है।
- **SC/ST सीटों की संख्या:** इस विधानसभा में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 34 सीटें और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं।
- राज्य में अनुसूचित जाति (SC) की आरक्षित सीटें निम्न हैं- अजमेर दक्षिण, हिण्डौन, बिलाड़ा, कपासन, चौहटन, बयाना, डग, बगरू, भोपालगढ़, धोद, केशोरायपाटन, खण्डार, जालोर, अलवर ग्रामीण, पिलानी, दूदू, वैर, रामगंज मंडी, जायल, सुजानगढ़, रेवदर, कठूमर, बारां, अटरू, निवाई, चाकसू, मेड़ता, शाहपुरा, सिकराय, पीलीबंगा, खाजूवाला, अनूपगढ़, सोजत, बसेड़ी एवं रायसिंह नगर।
- राज्य में अनुसूचित जाति (ST) के लिए आरक्षित सीटें-सलूम्बर, बांसवाड़ा [वनरक्षक 2022], बामनवास, आसपुर, गढ़ी, डूंगरपुर, टोडाभीम, धरियावाद, खैरवाड़ा, घाटोल, गोगुन्दा, उदयपुर ग्रामीण, झाडोल, जमवारामगढ़, बागीदौरा, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, कुशलगढ़, चौरासी, लालसोट, बस्सी, किशनगंज, सागवाड़ा, पिन्डवाड़ा, आबू, सपोटरा एवं प्रतापगढ़ है।

राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष (एक नजर में)

क्र. सं.	विधानसभा अध्यक्ष नाम	कार्यकाल		विशेष विवरण
		से	तक	
1.	श्री नरोत्तम लाल जोशी	31.03.1952	25.04.1957	प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे।
2.	श्री रामनिवास मिर्धा	25.04.1957	03.05.1967	भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजस्थान संगीत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। इन्हें सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त है।
3.	श्री निरंजननाथ आचार्य	03.05.1967	20.03.1972	
4.	श्री रामकिशोर व्यास	20.03.1972	18.07.1977	पुडुचेरी के राज्यपाल रहे।
5.	श्री लक्ष्मण सिंह	18.07.1977	26.06.1979	❖ **डूँगरपुर के अंतिम महारावल:** डूँगरपुर के अंतिम महारावल के रूप में सम्मानित। ❖ **राज्यसभा सदस्य:** पूर्व राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में अपनी भूमिका निभाई। ❖ **विधानसभा में विपक्ष के नेता:** राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। ❖ **प्रथम गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष:** विधानसभा के पहले गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष बने।
6.	श्री गोपाल सिंह	25.09.1979	07.07.1980	दार्शनिक एवं कवि रहे।
7.	श्री पूनमचन्द विश्नोई	07.07.1980	20.03.1985	विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री रहे।
8.	श्री हीरालाल देवपुरा	20.03.1985	16.10.1985	राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे।
9.	श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी	31.01.1986	11.03.1990	

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)	उच्च न्यायालय (High Court)
रिट अधिकारिता एक मूल अधिकार—उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 32) भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है, जो उन्हें न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है।	**मूल अधिकार नहीं**—अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है; यह न्यायालय की एक विशेष शक्ति है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

क्र.स.	नाम	कार्यकाल
1.	न्यायमूर्ति के.के. वर्मा	29.08.1949 से 24.01.1950
2.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू	02.01.1951 से 10.08.1958
3.	न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद	28.02.1959 से 10.10.1961
4.	न्यायमूर्ति जे.एस. राणावत	11.10.1961 से 31.05.1963
5.	न्यायमूर्ति डी.एस. दवे	01.06.1963 से 17.12.1968
6.	न्यायमूर्ति डी.एम.भंडारी	18.12.1968 से 15.12.1969
7.	न्यायमूर्ति जे. नारायण	16.12.1969 से 13.02.1973
8.	न्यायमूर्ति बी.पी. बेरी	14.02.1973 से 16.02.1975
9.	न्यायमूर्ति पी.एन. सिंघल	17.02.1975 से 05.11.1975
10.	न्यायमूर्ति वी.पी.त्यागी	06.11.1975 से 27.12.1977
11.	न्यायमूर्ति सी. होनैया	27.04.1978 से 22.09.1978
12.	न्यायमूर्ति सी.एम. लोढ़ा	12.03.1979 से 09.07.1980
13.	न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा	07.01.1981 से 22.10.1983
14.	न्यायमूर्ति पी.के. बनर्जी	23.10.1983 से 30.09.1985
15.	न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता	12.04.1986 से 31.07.1986
16.	न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा	01.09.1986 से 22.05.1989
17.	न्यायमूर्ति के.सी. अग्रवाल	15.04.1990 से 07.07.1994
18.	न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल	12.07.1994 से 03.03.1995
19.	न्यायमूर्ति ए.पी. रावानी	04.04.1995 से 10.09.1996
20.	न्यायमूर्ति एम.जी. मुखर्जी	19.09.1996 से 24.12.1997
21.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	22.01.1999 से 14.03.2000
22.	न्यायमूर्ति डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन	29.05.2000 से 25.11.2001
23.	न्यायमूर्ति अरुण कुमार	02.12.2001 से 02.10.2002
24.	न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह	24.12.2002 से 22.10.2004
25.	न्यायमूर्ति एस.एन. झा	12.10.2005 से 15.06.2007
26.	न्यायमूर्ति जे.एन. पांचाल	16.06.2007 से 11.11.2007
27.	न्यायमूर्ति नारायण राव	05.01.2008 से 31.01.2009
28.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	06.03.2009 से 10.05.2009
29.	न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला	10.08.2009 से 31.10.2010
30.	न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा	26.11.2010 से 31.12.2012
31.	न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय	02.01.2013 से 05.08.2014
32.	न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी	24.03.2015 से 21.08.2015
33.	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल	05.03.2016 से 14.04.2016
34.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	14.05.2016 से 17.02.2017
35.	न्यायमूर्ति प्रदीप नन्दाजोग	02.04.2017 से 06.04.2019
36.	न्यायमूर्ति श्रीपति रविन्द्र भट्ट	05.05.2019 से 23.09.2019
37.	न्यायमूर्ति इन्द्रजीत महान्ती	06.10.2019 से 12.10.2021
38.	न्यायमूर्ति अकील कुरैशी	12.10.2021 से 06.03.2022
39.	न्यायमूर्ति एस.एस. शिन्दे	21.06.2022 से 01.08.2022
40.	न्यायमूर्ति पंकज मित्तल [REET (L-2) Sanskrit 2023]	14.10.2022 से 05.02.2023
41.	न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जार्ज मासीह	30.05.2023 से 09.11.2023
42.	**न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव**	**06.02.2024 से लगातार**

राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश :** राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश **जे.एन. पांचाल** थे।
- **सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश :** कैलाश नाथ वांचू ने राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया।
- **न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश :** सुनील अम्बवानी का कार्यकाल राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे कम समय के लिए रहा।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. 1958 में, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं था?
[Revenue Officer • 23-03-25]

(A) वी. विश्वनाथन (B) इंद्रनाथ मोदी
(C) बी.के. गुप्ता (D) पी. सत्यनारायण राव **[B]**

2. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ (प्रिंसिपल सीट) कहाँ स्थित है?
[CET Gr. Level 27.9.24 (Ist Shift)]

(A) बाड़मेर (B) अजमेर (C) कोटा (D) जोधपुर **[D]**

3. राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं?
[J.En. Mech./Elect. • Diploma • 2022]

(A) 40 (B) 50 (C) 60 (D) 65 **[B]**

4. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई?
(Jail Warden • 23-11-18 • Shift-I)

(A) 31 जनवरी 1977 (B) 31 जनवरी 1978
(C) 31 अक्टूबर 1978 (D) 31 अक्टूबर 1977 **[A]**

राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अध्याय 5 में, धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान दिए गए हैं।

❖ **मानवाधिकारों की परिभाषा :** 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993' की धारा 2(घ) के अनुसार, संविधान में उल्लिखित और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में स्वीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े अधिकार, जिन्हें न्यायालय लागू कर सके, वे मानवाधिकारों में आते हैं।

❖ **मानवाधिकारों के प्रमुख पहलू :** मानवाधिकारों में निम्नलिखित अधिकार और सुरक्षा शामिल हैं, बशर्ते कि वे न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकें:

- ✧ पुलिस हिरासत में मृत्यु
- ✧ लोकपदाधिकारी द्वारा व्यक्ति को परेशान करना
- ✧ दहेज प्रताड़ना, बलात्कार या हत्या
- ✧ लैंगिक प्रताड़ना, बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी
- ✧ बाल विवाह रोकथाम
- ✧ समुचित शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता
- ✧ सामाजिक सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण का अधिकार

RSHRC की स्थापना

❖ **अधिसूचना जारी करना:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की धारा 21(1) के तहत, राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की।

❖ **गठन की तिथि:** इस अधिसूचना के आधार पर **18 अक्टूबर 1999** को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ।

❖ **क्रियाशीलता:** आयोग **मार्च 2000** से सक्रिय रूप में कार्य कर रहा है।

RSHRC की संरचना

❖ **प्रारंभिक संरचना:** गठन के समय आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे।

❖ **वर्तमान संरचना:** मानवाधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम-2006 के अनुसार, आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान है, जो वर्तमान में लागू है

❖ **अध्यक्ष की नियुक्ति:** राज्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।[CET (10+2) 2024]

❖ **सदस्यों की योग्यता (संशोधित अधिनियम 2019):**

- ✧ **पहला सदस्य:** वर्तमान या पूर्व उच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
- ✧ **दूसरा सदस्य:** जिला न्यायालय में 7 वर्षों का अनुभव रखने वाला न्यायाधीश या मानवाधिकारों में विशेषज्ञता या व्यावहारिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया

❖ **नियुक्ति का प्रावधान:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।

❖ **नियुक्ति समिति:**

1. मुख्यमंत्री - समिति के अध्यक्ष।
2. विधानसभा का अध्यक्ष - सदस्य।
3. राज्य का गृहमंत्री - सदस्य।
4. विधानसभा में विपक्ष का नेता - सदस्य।

नोटः-
1. जिन राज्यों में विधानपरिषद भी है, वहाँ विधानपरिषद के सभापति और विपक्ष के नेता भी समिति में शामिल होंगे।
2. धारा 22(2) के अनुसार, समिति में किसी पद का रिक्त होना नियुक्ति को अवैध नहीं बनाता।
3. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें

❖ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

❖ उनके कार्यकाल के दौरान इन शर्तों में किसी प्रकार का नुकसानकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

3. कार्यकाल

❖ RSHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो या इसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु,** जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। [CET (Grad.) 2024]

- ✧ अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर बने नहीं रह सकते।
- ✧ अध्यक्ष या सदस्य का पद छोड़ने के बाद वह किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

विशेष प्रावधान

❖ **पद से हटाने का प्रावधान (धारा 23(1)):** राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। जांच में यह सिद्ध होना चाहिए कि वे अपने कार्यों को निभाने में असमर्थ हैं या उनके विरुद्ध कदाचार साबित हुआ है, तभी उन्हें हटाया जा सकता है।

❖ **कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति (धारा 25(1)):** यदि आयोग का अध्यक्ष पद मृत्यु, त्यागपत्र, या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो राज्यपाल एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह नियुक्ति तब तक रहेगी जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

अधिकारिता

❖ **जाँच के विषय:** राज्य मानवाधिकार आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मानवाधिकार मामलों की जांच कर सकता है।

❖ **सीमाएं:**

- ✧ आयोग उन मामलों की जांच नहीं कर सकता जो न्यायालय में लंबित हैं या जिन्हें 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है।
- ✧ सेना से संबंधित शिकायतों पर भी आयोग कार्यवाही नहीं कर सकता।

कार्यस्थल पर नियोजक के कर्त्तव्य (Employer's Responsibilities)

1. **सुरक्षित कार्य वातावरण:** कार्यस्थल पर सभी महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना।
2. **समिति को सहायता:** आंतरिक/स्थानीय समिति को शिकायतों पर कार्रवाई और जांच के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना।
3. **जानकारी उपलब्ध कराना:** शिकायत से संबंधित आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी समिति को उपलब्ध कराना।
4. **कार्रवाई शुरू करना: यदि अपराधी कार्यस्थल का कर्मचारी नहीं है, तो:**
   - ✧ भारतीय दंड संहिता (IPC) या अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करना।
   - ✧ व्यथित महिला की इच्छाओं का सम्मान करना।
5. **सेवा नियमों के तहत कार्रवाई:** लैंगिक उत्पीड़न को कदाचार (misconduct) मानते हुए, संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई शुरू करना।
6. **रिपोर्ट मॉनिटर करना:** आंतरिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समयबद्ध समीक्षा और निगरानी करना।

वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना:

- ❖ आंतरिक समिति/स्थानीय समिति हर कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।
- ❖ यह रिपोर्ट नियोजक और जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
- ❖ जिला अधिकारी इन वार्षिक रिपोर्टों पर एक सारांश रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen's Charter)

1. **नागरिक अधिकार-पत्र का परिचय:**
- ❖ यह एक दस्तावेज है जो नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
- ❖ इसमें सेवाओं की गुणवत्ता, सूचना, परामर्श, गैर-भेदभाव, शिकायत निवारण, शिष्टाचार आदि की जानकारी दी जाती है।

2. **नागरिक अधिकार-पत्र का इतिहास:**
- ❖ **ब्रिटेन में शुरुआत (1991):**
  - ✧ ब्रिटेन में नागरिक अधिकार-पत्र की शुरुआत एक श्वेत पत्र के साथ हुई।
  - ✧ तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने सार्वजनिक सेवाओं में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को 'चार्टर मार्क स्कीम' के तहत सम्मानित करने की योजना शुरू की।
- ❖ **भारत में शुरुआत:**
  - ✧ NGO 'कॉमन कॉज' ने भारत में सिटीजन चार्टर को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किया।
  - ✧ 1996 में राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में पहली बार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया।
  - ✧ **24 मई 1997:** मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नौ-सूत्रीय कार्य योजना के तहत सिटीजन चार्टर की शुरुआत।

3. **नौ-सूत्रीय कार्य योजना:**
   1. नागरिकों के लिए अधिकार-पत्र और जवाबदेह प्रशासन।
   2. प्रभावी और त्वरित लोक शिकायत निवारण।
   3. ग्रामीण और शहरी निकायों को अधिक अधिकार।
   4. कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और सरलीकरण।
   5. प्रशासन में पारदर्शिता।
   6. सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
   7. लोक सेवकों के लिए आचार संहिता।
   8. कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व।
   9. सेवाओं का विकेंद्रीकरण।

4. **भारत में सिटीजन चार्टर का विकास:**
- ❖ **पहला सिटीजन चार्टर (1997):** केंद्र सरकार द्वारा पहला चार्टर खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया।
- ❖ **राजस्थान में सिटीजन चार्टर:**
  - ✧ **1998:** खाद्य और आपूर्ति विभाग।
  - ✧ **1999:** राजस्व मंडल ने सिटीजन चार्टर लागू किया।

5. **वर्तमान स्थिति (जनवरी 2011):**
- ❖ **केंद्रीय स्तर पर:** मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए नागरिक अधिकार पत्रों की संख्या 131 है।
- ❖ **राजस्थान में:** राज्य सरकार द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्रों की संख्या 65 है।

नोट:- सिटीजन चार्टर का उद्देश्य प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी, और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए: [Revenue Officer • 23-03-25]

(a) यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था।
(b) इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई।
(c) इस अधिनियम को राज्य विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया।

कूट:
(A) केवल (c) सही है (B) केवल (a) सही है
(C) केवल (b) और (c) सही हैं (D) केवल (b) सही है **[A]**

2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का उद्देश्य है:
(A) पारदर्शिता लाना [J.En. Elect. • Degree • 2022]
(B) शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना
(C) सेवा प्राप्ति का अधिकार देना
(D) उपर्युक्त सभी **[D]**

3. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? [J.En. Civil • Degree • 2022]
(A) 2 अक्टूबर, 2011 (B) 31 अक्टूबर, 2011
(C) 14 नवंबर, 2011 (D) 19 नवंबर, 2011 **[C]**

दक्ष की पुस्तकें Online Order करने के लिए www.dakshbooks.com पर जायें

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें

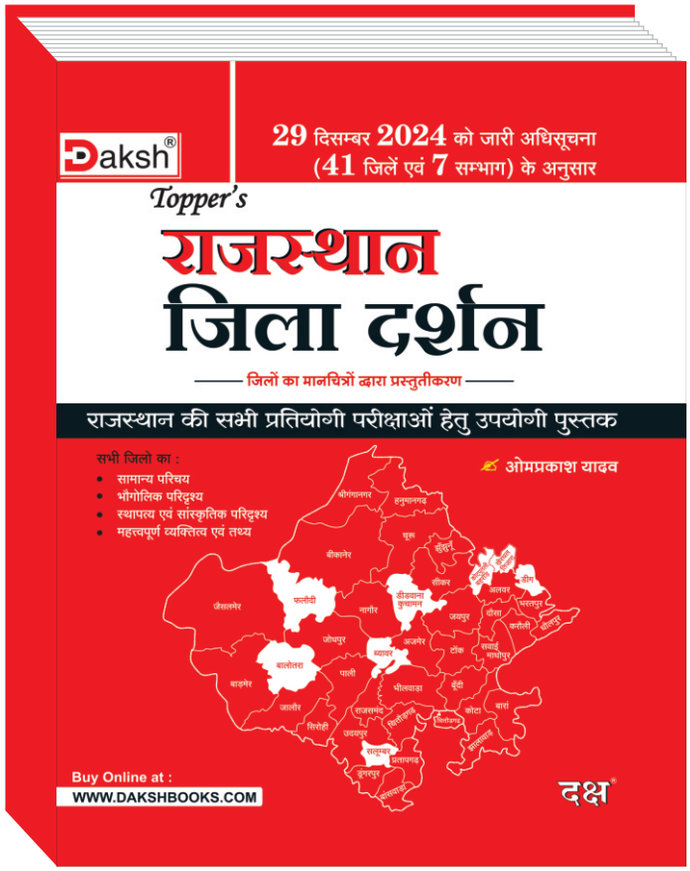

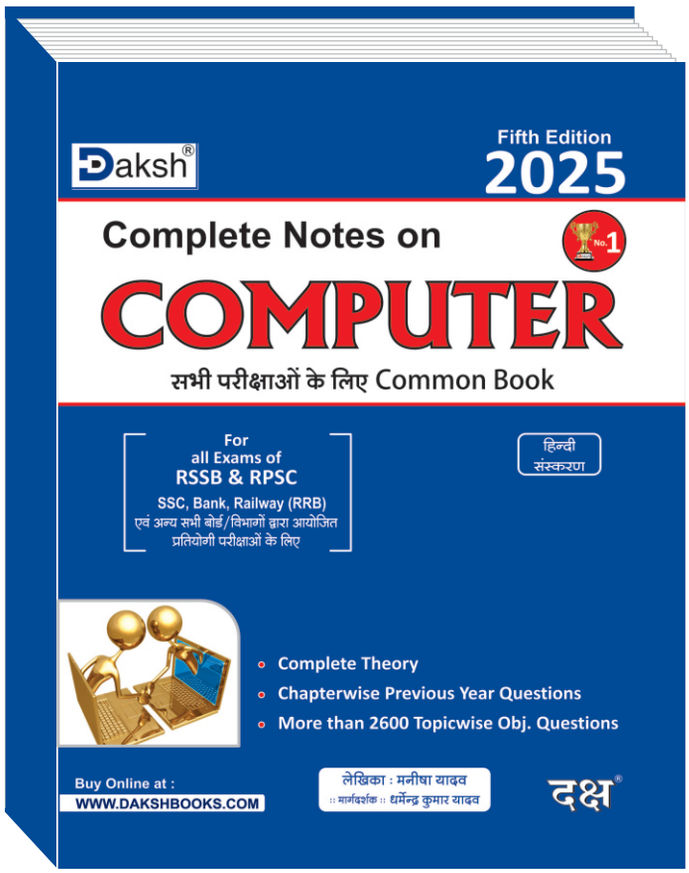

DAKSH PUBLICATIONS
(A Unit of College Book Centre)
A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)
फोन नं. 0141-2604302
Code No. D-860 | ₹ 680/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु
WWW.DAKSHBOOKS.COM
पर ORDER करें
★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★